भारतीय स्टेट बैंक

तुलन-पत्र 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	776,27,77	746,57,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	143498,15,83	127691,65,34
जमाराशियाँ	3	1730722,43,61	1576793,24,50
उधार-राशियाँ	4	224190,58,61	205150,29,26
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	159875,57,46	137698,03,57
योग		**2259063,03,28**	**2048079,79,98**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	129629,32,53	115883,84,35
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	37838,33,12	38871,93,86
निवेश	8	477097,27,65	481758,74,78
अग्रिम	9	1463700,41,75	1300026,39,29
अचल आस्तियाँ	10	10389,27,72	9329,16,42
अन्य आस्तियाँ	11	140408,40,51	102209,71,28
योग		**2259063,03,28**	**2048079,79,98**
आकस्मिक देयताएँ	12	971956,00,58	1000627,25,78
उगाही के लिए बिल	-	92211,64,83	92795,24,84
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलनपत्र का एक अभिन्न भाग है।

हस्ताक्षरी:

पी. के. गुप्ता
एम.डी. (सी एण्ड आर)

वी. जी. कन्नन
एम.डी. (ए एण्ड एस)

बी. श्रीराम
एम.डी. (सी बी जी)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमिन
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
डॉ.गिरीश कुमार आहूजा
डॉ.पुष्पेन्द्र राय
श्री सुनील मेहता

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेररीयन के बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 004532 S

कृते मे. वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

अजय गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 090104
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते मे. मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते मे. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस के चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 003124
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते मे. एस एल छाजड एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते मे. मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517 N

कृते मे. एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते मे. एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते मे. बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी एस रावत
भागीदार: स.सं.: 083030
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मे. मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

कृते मे. एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार: स.सं.: 18088
फर्म पंजी. सं.: 003790 S

कृते मे. बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते मे. जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: 083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते मे. अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2016

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी: 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछले वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 776,35,98,072 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1(पिछले वर्ष 746,65,61,670 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति इक्विटी शेयर)	776,35,98	746,65,61
अभिदत्त और संदत्त पूंजी: 776,27,77,042 इक्विटी शेयर प्रति ₹1, (पिछले वर्ष 746,57,30,920 इक्विटी शेयर प्रति ₹1) [उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 14,45,93,240 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 16,04,31,560 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,44,59,324 (पिछले वर्ष 1,60,43,156) वैश्विक निक्षेपागाार रसीदों के रूप में हैं]	776,27,77	746,57,31
योग	**776,27,77**	**746,57,31**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	47839,40,98		43810,33,00	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2985,19,61		4029,07,98	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			50824,60,59		47839,40,98
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	1849,51,49		1744,01,05	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	345,27,46		105,50,44	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			2194,78,95		1849,51,49
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	41444,68,60		41444,68,60	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	8333,44,99		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	8,65,88		-	
			49769,47,71		41444,68,60
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6172,34,71		6040,01,00	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	757,82,36		158,29,42	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	873,92,35		25,95,71	
			6056,24,72		6172,34,71

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां***				
	अथशेष	30385,37,08		24496,31,52	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4267,35,10		5889,05,56	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			34652,72,18		30385,37,08
VI	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		31,68		32,48
	* टिप्पणी : राजस्व व अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हज़ार), (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षितियाँ ₹8499,18,16 हज़ार (पिछले वर्ष ₹6719,06,15 हज़ार)				
योग			**143498,15,83**		**127691,65,34**

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I. माँग जमाराशियाँ**		
	(i) बैंकों से	5735,58,63	5941,51,45
	(ii) अन्य से	134071,44,66	118630,78,84
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ	597746,06,02	527332,81,84
	III. सावधि जमाराशियाँ		
	(i) बैंकों से	6818,59,65	9179,86,77
	(ii) अन्य से	986350,74,65	915708,25,60
	योग	1730722,43,61	1576793,24,50
ख.	I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1636424,58,65	1487236,32,78
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	94297,84,96	89556,91,72
योग		**1730722,43,61**	**1576793,24,50**

अनुसूचियाँ

अनूसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में उधार-राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		-		2595,00,00
	(ii) अन्य बैंक		-		674,52,05
	(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		1902,52,33		3490,55,76
	(iv) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	2165,00,00		2165,00,00	
	ख) गौण ऋण	42374,23,80		36471,39,60	
			44539,23,80		38636,39,60
योग			**46441,76,13**		**45396,47,41**
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
	(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		173607,88,73		155847,56,85
	(II) पूंजीगत लिखत				
	नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)		4140,93,75		3906,25,00
योग			**177748,82,48**		**159753,81,85**
कुल योग			**224190,58,61**		**205150,29,26**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ			8046,77,79		4581,96,92

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	18438,45,65	20184,69,67
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	36843,46,74	39061,18,75
III.	प्रोद्भूत ब्याज	24934,79,20	20560,45,58
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2684,95,65	2353,11,87
V.	अन्य (प्रावधान सहित)*	76973,90,22	55538,57,70
योग		**159875,57,46**	**137698,03,57**

इसमें मानक आस्तियों के लिए विवेकपूर्ण प्रावधान राशि ₹11188,59,82 हजार (पिछले वर्ष ₹9018,36,10 हजार शामिल है।

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	15080,91,89	14943,22,17
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	114548,40,64	100940,62,18
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**129629,32,53**	**115883,84,35**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	151,94,16	193,75,88
(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	2972,00,00	2240,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग	**3123,94,16**	**2433,75,88**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	24084,90,46	21059,05,65
(ii) अन्य जमा खातों में	1144,46,21	1946,13,70
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	9485,02,29	13432,98,63
योग	**34714,38,96**	**36438,17,98**
कुल योग (I एवं II)	**37838,33,12**	**38871,93,86**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I भारत में निवेश :			
(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ		360398,87,65	377654,15,03
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
(iii) शेयर		4327,90,22	4336,48,56
(iv) डिबेंचर और बांड		41126,76,36	30527,76,51
(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)		8784,23,26	7596,50,49
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट्, कमर्शियल पेपर इत्यादि)		23022,78,82	31286,82,34
योग		**437660,56,31**	**451401,72,93**
II भारत के बाहर निवेश			
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		9969,94,18	5758,32,99
(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम		2591,72,94	2185,68,69
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		26875,04,22	22413,00,17
योग		**39436,71,34**	**30357,01,85**
कुल योग (I एवं II)		**477097,27,65**	**481758,74,78**
III. भारत में निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		437955,05,62	451634,98,40
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		294,49,31	233,25,47
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	**437660,56,31**	**451401,72,93**
IV. भारत के बाहर निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		39496,32,30	30603,67,21
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		59,60,96	246,65,36
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**योग**	**39436,71,34**	**30357,01,85**
कुल योग (III एवं IV)		**477097,27,65**	**481758,74,78**

अनुसूची 9 - अग्रीम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	94360,70,33	95605,93,62
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	589442,33,19	538576,40,18
	III. सावधि ऋण	779897,38,23	665844,05,49
योग		**1463700,41,75**	**1300026,39,29**
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1086206,36,64	988275,84,14
	II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	61714,99,56	52640,93,65
	III. अप्रतिभूत	315779,05,55	259109,61,50
योग		**1463700,41,75**	**1300026,39,29**
ग)	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	328551,49,99	288952,35,26
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	144401,91,16	99444,50,78
	(iii) बैंक	1473,74,93	261,94,79
	(iv) अन्य	725604,44,16	678592,56,54
योग		**1200031,60,24**	**1067251,37,37**
ग)	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	71628,62,37	49656,27,37
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) सक्रिय किए गए और बट्टाकृत बिल	15179,05,89	28459,86,93
	(ख) सिंडीकेट ऋण	88579,38,30	73482,21,58
	(ग) अन्य	88281,74,95	81176,66,04
योग		**263668,81,51**	**232775,01,92**
कुल योग (ग - I एवं ग - II)		**1463700,41,75**	**1300026,39,29**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	3419,39,11		3112,45,97	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	215,18,89		312,37,37	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		5,44,23	
अद्यतन मूल्यह्रास	491,08,22		447,32,80	
		3143,49,78		2972,06,31
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	17542,35,45		15573,29,35	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2280,58,65		2758,28,85	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	271,74,06		789,22,75	
अद्यतन मूल्यह्रास	12875,53,82		11472,61,90	
		6675,66,22		6069,73,55
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	208,70,20		233,62,47	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौतीयाँ	208,70,20		24,92,27	
प्रावधानों सहित आज तक का मूल्यह्रास	-		208,70,20	
		-		-
IV निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		570,11,72		287,36,56
योग (I, II, III एवं IV)		**10389,27,72**		**9329,16,42**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	16227,95,80	15020,62,03
(iii) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	12698,28,68	9257,46,09
(iv) आस्थगित कर आस्तियों (निवल)	472,51,88	365,98,57
(v) लेखन सामग्री और स्टांप	102,67,31	104,48,23
(vi) दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	3,91,00	4,25,91
(vii) अन्य*	110903,05,84	77456,90,45
योग	**140408,40,51**	**102209,71,28**

* इसमें नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास रखी गई जमाराशियाँ ₹52401,25,93 हजार (पिछले वर्ष ₹33374,16,90 हजार) शामिल है

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	12347,03,03	14132,87,81
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	154,55,16	463,08,37
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	506354,87,97	568894,47,16
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	135811,51,97	123711,14,64
(ख) भारत के बाहर	82799,97,90	63673,91,98
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	106928,52,26	97765,09,54
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	127559,52,29	131986,66,28
योग	**971956,00,58**	**1000627,25,78**

* इसमें ड़ेरीवेटिव्स ₹125856,86,50 हजार (पिछले वर्ष ₹130178,19,69 हजार) शामिल है

भारतीय स्टेट बैंक

लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. **आय**			
अर्जित ब्याज	13	163685,30,61	152397,07,42
अन्य आय	14	28158,36,01	22575,89,26
योग		**191843,66,62**	**174972,96,68**
II. **व्यय**			
व्यय किया गया ब्याज	15	106803,49,21	97381,82,36
परिचालन व्यय	16	41782,36,65	38053,87,14
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		33307,15,39	26435,69,98
योग		**181893,01,25**	**161871,39,48**
III. लाभ			
निवल लाभ (वर्ष के लिए)		9950,65,37	13101,57,20
अग्रानीत लाभ		32,48	32,48
योग		**9950,97,85**	**13101,89,68**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		2985,19,61	4029,07,98
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		345,27,46	105,50,44
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		4267,35,10	5889,05,56
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश (लाभांश पर कर सहित)		80	-
चालू वर्ष हेतु लाभांश		2018,32,20	2648,17,28
चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		334,51,00	429,75,94
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		31,68	32,48
योग		**9950,97,85**	**13101,89,68**
प्रति शेयर मूल आय		₹ 12.98	₹ 17.55
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 12.98	₹ 17.55
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

हस्ताक्षरी:

पी. के. गुप्ता
एम.डी. (सी एण्ड आर)

वी. जी. कन्नन
एम.डी. (ए एण्ड एस)

बी. श्रीराम
एम.डी. (सी बी जी)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमिन
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
डॉ.गिरीश कुमार आहूजा
डॉ.पुष्पेन्द्र राय
श्री सुनील मेहता

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरीयन के बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 004532 S

कृते मे. वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

अजय गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 090104
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते मे. मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते मे. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस के चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 003124
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते मे. एस एल छाजड एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते मे. मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517 N

कृते मे. एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते मे. एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते मे. बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी एस रावत
भागीदार: स.सं.: 083030
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मे. मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

कृते मे. एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार: स.सं.: 18088
फर्म पंजी. सं.: 003790 S

कृते मे. बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते मे. जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: 083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते मे. अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2016

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	115666,01,22	112343,91,20
II. निवेशों पर आय	42303,97,93	35353,64,24
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	621,06,84	505,12,35
IV. अन्य	5094,24,62	4194,39,63
योग	**163685,30,61**	**152397,07,42**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	14415,98,00	13172,83,13
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	5168,79,59	3618,04,99
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	(151,67,43)	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(16,69,37)	(42,74,99)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (0हानि) (निवल)	2112,34,08	1935,95,56
VI. विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	475,82,57	677,03,43
VII. वित्तीय पटटे से आय	-	5,75
VIII. विविध आय*	6153,78,57	3214,71,39
योग	**28158,36,01**	**22575,89,26**

*विविध आय में अपलिखित खातों में की गई वसूलियाँ 2858,61,51 हजार (पिछले वर्ष 2358,98,09 हजार शामिल है।

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	98864,98,84	89148,45,02
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	4154,29,59	3972,04,27
III. अन्य	3784,20,78	4261,33,07
योग	**106803,49,21**	**97381,82,36**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	25113,82,46	23537,06,76
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	3709,15,28	3406,94,48
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	376,81,38	373,50,46
IV. विज्ञापन और प्रचार	307,64,06	284,63,61
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1700,30,45	1116,49,32
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	63,37	60,71
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	197,04,21	178,99,93
VIII. विधि प्रभार	179,50,08	191,62,37
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	609,35,30	656,82,87
X. मरम्मत और अनुरक्षण	598,08,43	545,07,28
XI. बीमा	1718,03,67	1594,35,89
XII. अन्य व्यय	7271,97,96	6167,73,46
योग	**41782,36,65**	**38053,87,14**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखा की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियामक मानदंडों/ दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती है, के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त है। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर निर्धारण किया गया है सिवाय इनके जहाँ (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज, (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है, को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी वाले निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के समतुल्य राशि को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को उपचय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 समस्त अन्य कमीशन एवं शुल्क आय का निर्धारण उनके वसूली पर किया जाता है सिवाय अधोलिखित के: (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं ए टी एम इंटरचेंज फीस जो कि उपचय आधार पर मान्य होते हैं, तथा (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस, जो कि पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभाजित किया जाता है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड एवं जमापत्र जारी करने के लिए भुगतान / खर्च की गई दलाली/ कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपने वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करती है तो इसे अपने खातों से हटा देती है ।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो कमी की इस राशि को बिक्री की तिमाही से 8 समान तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है ।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा हैं तो अतिरिक्त प्रावधान को आरबीआई की अनुमति के अनुसार राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2 निवेश:

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन को "नपिटान तिथि" ((सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

सरकारी प्रतिभूतियों से इतर निवेशों को "सौदे की तिथि" (ट्रेड - डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी)"।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन :

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/ एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी:**

क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है।

(ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह (जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) बांड एवं ऋणपत्र (v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य) के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के प्रावधान पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है ।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य मे से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य को नॉन एस एल आर के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/ किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹ 1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेनदेन के रूप में लेखांकित किया गया है । तथापि एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शनों/दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है ;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" "(आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं ;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं ;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :
- i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
- ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
- iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ?ण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँ:
प्रतिभूत भाग
- i. एक वर्ष तक - 25%
- ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
- iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

अप्रतिभूत भाग : 100%
हानिप्रद आस्तियाँ: 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी (डीएफवी) का एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है। तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं

निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान बनाए गए है। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलन-पत्र की/तुलन-पत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलन-पत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को उपचय आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय हैं, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है ।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटा कर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल न होने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिवर्धन की लागत	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
	ऑटोमेटेड टेलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन /सिक्का डिस्पेंसर / सिक्का वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपस्कर	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	अचल आस्तियों के मुख्य वर्ग का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है।
			परिसर- 60 वर्ष
			वाहन - 5 वर्ष
			सुरक्षित जमा लॉकर- 20 वर्ष
			फर्निचर व फिक्सचर- 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनो के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, तो को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे :

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसा कि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता :

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की गई अन्य वित्तीय आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव :

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/वायदा) दरों का प्रयोग करे।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उपचय हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन :

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उपचय विनिमय अंतर - राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की को तिथि लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित (स्पॉट/फॉरवाड) अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार है। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि या ₹10 लाख की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है । बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या(पीआरएएन) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय विधियों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है। यदि विश्वास योग्य प्रमाण से वास्तव में यह निश्चित हो जाता है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भावी लाभ के सामने वसूल किया जा सकता है, तभी आगे ले जाई गई अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण किया जाता है ।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां :

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता

है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन का परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ के समाविष्ट पर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है।

इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं एवं ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा मदें बेचता है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/ अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमाओं, बहुमूल्य धातु (मेटल) ऋण अग्रिमों और अंतिम स्वर्ण शेषों का मूल्य तुलन-पत्र की तिथि को उपलब्ध बाजार दर के आधार पर निकाला जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि :

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने का व्यय :

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनुसूची- 18

लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी:

1. पूंजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.41%	10.10%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	3.53%	2.69%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	13.94%	12.79%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.81%	9.31%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.92%	9.60%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	3.20%	2.40%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.12%	12.00%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	60.18%	58.60%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	4,67,16,34,652	4,37,45,98,250
(vii)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी	5,393.00	2,970.00*
(viii)	अतिरिक्त टियर - 1 (एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है क) पीएनसीपीएस: ख) पीडीआई:	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
(ix)	टियर - 2 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित क) ऋण पूंजी लिखत ख) प्रिफरेंस शेयर पूंजी लिखत: बेमियादी संचयी प्रिफरेंस शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय असंचयी प्रिफरेंस शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी प्रिफरेंस शेयर (आरसीपीएस)	 10,500.00 शून्य	 शून्य शून्य

1 अप्रैल 2015 को आबंटित शेयर (एटी 1 के तहत विचार किए गए) बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए उक्त गणना में इस विकल्प को काम में लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी. 83/ 21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च 2016 के द्वारा बैंकों को यह विवेकाधिकार दिया है कि ''विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिज़र्व'' और आस्थगित कर आस्ति पूंजी पर्याप्तता की गणना सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में की जाए।

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹5,393.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,970 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त है जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 5373.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,959.95 करोड़) शामिल हैं जो प्रति ₹1/- के 19,65,59,390 (पिछले वर्ष 10,04,77,012) इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आबंटन 29.09-2015 को किरया गया।

ख) बैंक को ₹ 2,970.00 करोड़ की शेयर आवेदन राशि ₹2,959.95 करोड़ के शेयर प्रीमियम सहित प्रति ₹ 1 के 10,04,77,012 इक्विटी शेयर के प्रीफरेंसियल इश्यू के बदले में भारत सरकार से दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त हुई। इक्विटी शेयर दिनांक 01.04.2015 को आबंटित किए गए।

ग) अधिकार निर्गम-2008 के भाग के रूप में दिनांक 16.07.2015 को प्रति ₹1/- के ऐसे 9,720.00 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे, जिनका आबंटन प्रास्थगित कर दिया गया था और ₹9,720 की राशि पूंजीगत खाते में जमा की गई और ₹15,35,760 की राशि शेयर प्रीमियम खाते में जमा की गई। जारी किए गए परंतु आबंटित नहीं किए गए ऐसे प्रति ₹ 1 के शेष शेयरों की संख्या 8,21,030 रही (पिछले वर्ष 8,30,750 इक्विटी शेयर), क्योंकि उनका हक विवादित या निर्णयाधीन है।

घ) शेयर जारी करने से संबंधित खर्च: ₹8.66 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शेयर प्रीमियम खाते में नामे किए गए।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

संमिश्र टियर-I पूंजी के अंतर्गत आने वाले एवं बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है :

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.16 को रुपए के समतुल्य	31.03.15 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड - 12वीं श्रृंखला*	15.02.2007	बेमियादी नॉन-काल 10.25 वर्ष	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,650.20	2,500.00
एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड - 14वीं श्रृंखला #	26.06.2007	बेमियादी नॉन-काल 10 वर्ष और एक दिन	225 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,490.74	1,406.25
योग			625 मिलियन अमेरिकी डॉलर	4,140.94	3,906.25

* यदि बैंक 15 मई 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

यदि बैंक 27 जून 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा।

ये बॉण्ड अप्रतिभूत बॉण्ड हैं और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं (एसजीएक्स-बॉण्ड बोर्ड)।

ख) देशीय: (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 (टियर 1) श्रृंखला I	1,000.00	14.08.2009	9.10
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009 (टियर 1) श्रृंखला II	1,000.00	27.01.2010	9.05
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2007-08	165.00	28.09.2007	10.25
योग		**2,165.00***		

* इसमें वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से लिए गए ₹2,000 करोड़ शामिल हैं जिसमें एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा किए गए ₹550 करोड़ के निवेश को आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर-1 पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

4. गौण ऋण

बॉण्ड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडीम योग्य होते हैं।

बकाया गौण ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) ाबॉण्ड - 2006 (IX) (निम्न टियर II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006-07 एसबीएस (श्रृंखला II) (निम्न टियर II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (उच्च टियर II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
6	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (II) (उच्च टियर II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (III) (उच्च टियर II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180
8	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (IV) (उच्च टियर II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
9	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (V) (उच्च टियर II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
10	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (VI) (उच्च टियर II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
11	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (VII) (उच्च टियर II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
12	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006-07 एसबीआईएन (श्रृंखला IV) (उच्च टियर II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	180
13	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006 (VIII) (उच्च टियर II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
14	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2006-07 एसबीआईएन (श्रृंखला V) (उच्च टियर II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	180
15	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2007-08 (II) (उच्च टियर II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
18	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
19	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
20	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
21	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 - एसबीआईएन (श्रृंखला VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
22	एसबीआई पब्लिक इश्यू ऑफ लॉअर टियर II - अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2010 (श्रृंखला - II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
23	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला I)	4,000.00	23.12.2015 23.12.2025	8.33	120
24	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला II)	3,000.00	18.02.2016 18.02.2026	8.45	120
25	एसबीआई पब्लिक इश्यू ऑफ लॉअर टियर II - अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2011 रिटेल (श्रृंखला - 4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
26	एसबीआई पब्लिक इश्यू ऑफ लॉअर टियर II - अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2011 नॉन-रिटेल (श्रृंखला - 4)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
27	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)	3,000.00	18.03.2016 18.03.2026	8.45	120
28	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)	500.00	21.03.2016 21.03.2026	8.45	120
	योग	**42,374.24**			

18.2 निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
1. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	4,37,955.05	4,51,634.98
(ख) भारत से बाहर	39,496.32	30,603.67
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	294.49	233.25
(ख) भारत से बाहर	59.61	246.65
iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	4,37,660.56	4,51,401.73
(ख) भारत से बाहर	39,436.71	30,357.02
2. निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) वर्ष के प्रारंभ में शेष	479.90	1,547.81
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	610.39	168.29
iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	293.72	511.13
iv) जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	18.36	33.29
v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	460.83	758.36
vi) वर्ष की समाप्ति पर शेष	354.10	479.90

टिप्पणियां :

क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत उपयोग में लाए गए ₹67,154 करोड़ (पिछले वर्ष ₹36,761 करोड़) और भारतीय रिजर्व बैंक में मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएफएस) के तहत काम में ली गई ₹32,000 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल नहीं है।

ख) ₹2,827.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13,779.33 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि./ एनएससीसीएल/एमसीएक्स/यूएसईआ ईएल के पास प्रतिभूति सेटलमेंट हेतु रखी गयी है।

ग) वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई है, अर्थात i) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ₹799.99 करोड़, ii) एसबीआई फाउंडेशन में ₹ 1 करोड़, iii) नागालैण्ड रूरल बैंक में ₹0.97 करोड़ और iv) इलाकाई देहाती बैंक में ₹ 8.90 करोड़।

घ) वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने प्रति ₹10 के इक्विटी शेयर ₹390 के प्रीमियम पर बैंक को ₹379.26 करोड़ की राशि के राइट इश्यू के अतर्गत 94,81,518 इक्वटी शेयर आबंटित किए और जिससे बैंक का हित 78.91% से बढ़कर 79.09% हो गया।

ङ) वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹108 करोड़ के लाभ पर सीसीआईएल के 24,00,000 इक्विटी शेयर बेच दिए। जिससे बैंक का हित 26.00% से घटकर 21.20% हो गया।

2. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित):

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और प्रत्यावर्तित रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2016 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	- (-)	99,581.36 (54,102.00)	17,406.51 (9,789.59)	99,581.36 (37,603.23)
ii)	कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	- (-)	1,314.24 (516.56)	571.47 (258.28)	1,254.07 (-)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	- (-)	55,000.00 (22,010.12)	4,692.95 (2,434.51)	- (-)
ii)	कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन - एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता - संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन - एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	प्राइवेट प्लेसमेंट की सीमा (राशि)	''निम्न निवेश श्रेणी'' वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	''बिना रेटिंग वाली'' प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	19,718.43 (14,751.97)	9,452.46 (3,445.03)	341.83 (419.01)	176.49 (418.76)	541.78 (719.01)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	29,826.69 (15,395.58)	18,998.39 (8,484.47)	- (-)	- (-)	200.00 (200.00)
(iii)	बैंक	15,398.01 (22,060.06)	1,256.40 (9,963.70)	1,118.15 (798.34)	23.62 -	23.62 -
(iv)	निजी कारपोरेट	23,905.24 (30,846.04)	12,464.90 (16,654.33)	2,299.54 (1,594.50)	499.93 (933.07)	78.67 (238.39)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	11,379.03 (9,785.06)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(vi)	अन्य	16,825.10 (11,745.76)	- (-)	1,219.73 (719.38)	1,147.88 (852.70)	- (749.36)
vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान	354.10 (479.90)	- (-)	31.97 (6.05)	- (93.72)	- (62.67)
	योग	**1,16,698.40 (1,04,104.57)**	**42,172.15 (38,547.53)**	**4,947.28 (3,525.18)**	**1,847.92 (2,110.81)**	**844.07 (1,844.09)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/लिस्टिंग दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	401.72	935.24
वर्ष के दौरान वृद्धि	52.36	48.11
वर्ष के दौरान कमी	307.84	581.63
अंतिम शेष	146.24	401.72
रखे गए कुल प्रावधान	**126.68**	**394.17**

ग) एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

18.3 डेरीवेटिव्स:

क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
i) विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	1,30,624.90	92,965.61
ii) प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	2,080.00	1,945.78
iii) विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	कोई महत्वपूर्ण नहीं	कोई महत्वपूर्ण नहीं
v) विनिमय-बही का उचित मूल्य	946.31	996.24

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आईआरएस/एफआरए की ₹11,232.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14,072.53 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	शून्य	शून्य
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूतियां	235.74	19,014.13
2	31 मार्च 2016 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	शून्य	शून्य
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूतियां	शून्य	2.00
3	बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज ३॰ डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र)

(क) गुणात्मक जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र)

i बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय-प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव-व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है. बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद-विक्रय का लेनदेन किया है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में विकल्प की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम, अर्थात यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की "डेरीवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि, सीमाएं ग्राहक सटीकता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरें उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक वीएआर आधारित सीमाओं को आधार बनाने की प्रक्रिया में है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण-सीमा निर्धारित किया जाता है एवं बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार भी करता है।

iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है। ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड-ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एमओआरसी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है एवं इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2015-16 की प्रमुख लेखानीति (पीएपी) : अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यतः आस्ति और देयताओं की बचाव-व्यवस्था हेतु किया जाता है।

vi. बचाव- व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में जाने वाले परस्पर मुद्रा-विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यतः विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की बचाव-व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं।

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम टियर के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे।

(ख) मात्रात्मक जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र):

(₹ करोड़ में)

मद	मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
(क) हेड्जिंग केलिए	17,713.28@	4,450.61 @	55,699.48 #	69,056.07 #
(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	2,32,714.53	2,42,870.49	74,925.42	62,128.01
(II) बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
(क) आस्ति	3,971.40	3,152.45	1,642.57	979.00
(ख) देयता	2,145.05	2,280.85	369.89	667.47
(III) ऋण जोखिम	7,960.90	11,206.42	3,487.84	3,774.49
(IV) ब्याज दर (100*पीवी01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव				
(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर	-0.04	0.02	-63.09	-92.42
(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर	2.68	2.88	20.34	24.44
(V) वर्ष के दौरान (100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
(क) हेड्जिंग पर - अधिकतम	0.08	0	34.14	-79.11
- न्यूनतम	-0.04	-0.03	-44.36	-88.24
(ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम	0.67	6.22	0.9	0.38
- न्यूनतम	0	0.039	-0.05	0.2225

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹7811.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8,486.92 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आईआरएस/एफआरए की ₹11,232.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14,072.53 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। करेंसी डेरीवेटिव्स- शून्य (पिछले वर्ष ₹7,757.17 करोड़) और ब्याज दर डेरिएटिव्स शून्य (पिछले वर्ष ₹ 62.39 करोड़)।

1. मार्च 31, 2016 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया अनुमानित राशि ₹ 19,043.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹30,379.01 करोड़) है और 31 मार्च 2016 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹18,071.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14,995.17 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2016 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹66,453.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,29,113.66 करोड़) है।

18.4 आस्ति-गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	3.81%	2.12%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) प्रारंभिक शेष	56,725.34	61,605.35
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	64,198.49	29,435.02
उप-योग (I)	120,923.83	91,040.37
घटाएं:		
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	2,598.59	3,776.15
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	4,389.18	9,235.42
ङ) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	शून्य	शून्य
(च) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	15,763.26	21,303.46
उप- योग (II)	22,751.03	34,315.03
(च) अंतिम शेष(I-II)	98,172.80	56,725.34
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	27,590.58	31,096.07
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	36,192.76	9,504.61
(ग) वर्ष के दौरान कमी	7,976.32	13,010.10
(घ.) अंतिम शेष	55,807.02	27,590.58
iv) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	29,134.76	30,509.28
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	28,005.73	19,930.41
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	14,774.71	21,304.93
(घ) अंतिम शेष	42,365.78	29,134.76

प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष में प्राप्त एवं स्थगित ईसीजीसी दावे शामिल हैं और बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹ 62.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 69.30 करोड़) और ₹ 67.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 62.64 करोड़) है।

ख) पुनर्संरचित खाते

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
	आस्ति वर्गीकरण मानक		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
	विवरण											
1	1 अप्रैल 2015 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	121	7	47	2	177	315	90	107	11	523
			(110)	(13)	(40)	(3)	(166)	(483)	(35)	(78)	(9)	(605)
		बकाया राशि	25,079.31	999.76	5,035.94	477.48	31,592.49	3,325.56	369.03	2,202.13	85.28	5,982.00
			(21,134.61)	(836.09)	(5,066.44)	(499.74)	(27,536.80)	(3,834.26)	(251.71)	(1,209.96)	(86.17)	(5,382.10)
		संबंधित प्रावधान	1,847.05	103.90	183.40	47.65	2,182.00	121.85	9.95	71.77	-	203.58
			(1636.32)	(60.34)	(520.73)	(0.10)	(2217.49)	(117.21)	(22.89)	(169.89)	(0.04)	(310.03)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	2	-	3	-	5	22	5	10	1	38
			(47)	(4)	(8)	(-)	(59)	(97)	(29)	(20)	(1)	(147)
		बकाया राशि	1,679.91	2.46	393.89	92.71	2,168.97	143.57	12.54	28.47	-	184.58
			(8208.93)	(839.32)	(648.19)	(-)	(9696.44)	(1616.65)	(194.15)	(364.74)	(1.14)	(2176.68)
		संबंधित प्रावधान	-183.63	-5.69	46.15	2.58	-140.59	4.18	1.17	1.65	-	7.00
			(664.08)	(90.44)	(14.81)	(-)	(769.33)	(82.76)	(6.98)	(2.67)	(-)	(92.40)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	2	-	-1	-1	-	5	-	-5	-	-
			(5)	(-2)	(-3)	(-)	(-)	(2)	(-)	(-2)	(-)	(-)
		बकाया राशि	217.44	-	107.47	-324.91	-	58.68	-14.62	-44.06	-	-
			(699.09)	(-38.09)	(-660.99)	(-)	(-)	(3.87)	(-)	(-3.87)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	6.05	-	23.27	-29.32	-	2.25	-0.03	-2.22	-	-
			(29.74)	(-1.49)	(-28.26)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/ अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-16	-	-	-	-16	-79	-	-	-	-79
			(-20)				(-20)	(-68)				(-68)
		बकाया राशि	-968.10				-968.10	-612.91				-612.91
			(-1800.54)				(1800.54)	(-243.42)				(-243.42)
		संबंधित प्रावधान	-41.87				-41.87	-1.77				-1.77
			(-76.29)				(-76.29)	(-3.12)				(-3.12)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
	आस्ति वर्गीकरण मानक		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
	विवरण											
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-35	-3	34	4	-	-31	-7	29	9	-
			(-16)	(-4)	(17)	(3)	(-)	(-90)	(39)	(43)	(8)	(-)
		बकाया राशि	-9,512.83	-760.38	10,252.24	20.97	-	-588.47	223.45	303.16	61.86	-
			(-2,725.7)	(-268.98)	(2,517.19)	(477.49)	(-)	(-1,177.97)	(23.53)	(904.13)	(250.32)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-537.57	-80.29	637.83	-19.97	-	-33.32	13.96	19.36	-	-
			(-122.91)	(-12.37)	(87.62)	(47.66)	(-)	(-31.35)	(-10.32)	(24.32)	(17.35)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-12	-1	-9	-2	-24	-46	-42	-18	-10	-116
			(-5)	(-4)	(-15)	(-4)	(-28)	(-109)	(-13)	(-32)	(-7)	(-161)
		बकाया राशि	-2,309.70	-22.41	-1,744.12	-30.02	-4,106.25	-579.50	-145.41	-341.16	-115.58	-1,181.65
			(-437.08)	(-368.57)	(-2,534.90)	(-499.74)	(3,840.28)	(-707.83)	(-100.36)	(-272.82)	(-252.35)	(-1,333.36)
		संबंधित प्रावधान	-310.88	-4.28	-478.76	-	-793.92	-43.70	-6.81	13.65	-	-36.86
			(-283.90)	(-33.03)	(-411.51)	(-0.10)	(-728.53)	(-43.64)	(-9.59)	(-125.10)	(-17.39)	(-195.73)
7	31 मार्च 2016 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	62	3	74	3	142	186	46	123	11	366
			(121)	(7)	(47)	(2)	(177)	(315)	(90)	(107)	(11)	(523)
		बकाया राशि	14,186.03	219.43	14,045.42	236.23	28,687.11	1,746.93	444.99	2,148.54	31.56	4,372.02
			(25,079.31)	(999.76)	(5,035.94)	(477.49)	(31,592.49)	(3,325.56)	(369.03)	(2,202.13)	(85.28)	(5,982.00)
		संबंधित प्रावधान	779.15	13.64	411.89	0.94	1,205.62	49.49	18.24	104.21	-	171.95
			(1,847.05)	(103.90)	(183.40)	(47.66)	(2,182.00)	(121.85)	(9.95)	(71.77)	(-)	(203.58)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके		अन्य (3)					योग (1+2+3)				
	आस्ति वर्गीकरण मानक		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
	विवरण											
1	1 अप्रैल 2015 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	676	1,273	1,351	463	3,763	1,112	1,370	1,505	476	4,463
			(3771)	(1088)	(750)	(77)	(5686)	(4364)	(1136)	(868)	(89)	(6457)
		बकाया राशि	27,437.97	770.82	5,140.13	305.27	33,654.17	55,842.83	2,139.61	12,378.20	868.03	71,228.67
			(18081.60)	(1,829.00)	(5,942.25)	(165.81)	(26,018.68)	(43,050.49)	(2,916.8)	(12,218.66)	(751.72)	(58,937.66)
		संबंधित प्रावधान	1,095.69	12.58	138.97	5.73	1,252.98	3,064.59	126.43	394.15	53.39	3,638.56
			(662.79)	(173.87)	(283.00)	(3.66)	(1,123.32)	(2,416.31)	(257.10)	(973.62)	(3.81)	(3,650.84)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	105	252	73	19	449	129	257	86	20	492
			(364)	(288)	(580)	(119)	(1351)	(508)	(321)	(608)	(120)	(1557)
		बकाया राशि	6,497.48	65.63	284.39	102.82	6,950.32	8,320.96	80.63	706.75	195.54	9,303.88
			(14,711.51)	(374.93)	(1,343.34)	(469.19)	(16,898.97)	(24,537.09)	(1,408.40)	(2,356.27)	(470.33)	(28,772.09)
		संबंधित प्रावधान	15.54	4.62	3.25	0.18	23.59	-163.92	0.10	51.04	2.77	-110.01
			(713.32)	(16.16)	(302.36)	(47.07)	(1,078.90)	(1,460.15)	(113.58)	(319.84)	(47.07)	(1,940.63)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	13	1	4	-18	-	20	1	-2	-19	-
			(7)	(-3)	(-3)	(-1)	(-)	(14)	(-5)	(-8)	(-1)	(-)
		बकाया राशि	373.49	-2.06	-322.69	-48.74	-	649.61	-16.67	-259.29	-373.65	-
			(273.81)	(-229.23)	(-0.05)	(-44.52)	(-)	(976.76)	(-267.32)	(-664.92)	(-44.52)	(-)
		संबंधित प्रावधान	13.90	-	-10.94	-2.96	-	22.20	-0.03	10.11	-32.28	-
			(-)	(1.17)	(-1.17)	(-)	(-)	(29.74)	(-0.32)	(-29.43)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा / अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-51	-	-	-	-51	-146	-	-	-	-146
			(-385)				(-385)	(-473)				(-473)
		बकाया राशि	-3,065.11				-3,065.11	-4,646.12				-4,646.12
			(-1,301.54)				(-1,301.54)	(-3,345.5)				(-3,345.5)
		संबंधित प्रावधान	-117.18				-117.18	-160.82				-160.82
			(-34.20)				(-34.20)	(-113.61)				(-113.61)

5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-203	-832	1,132	-97	-	-269	-842	1,195	-84	-
			(-1112)	(465)	(302)	(345)	(-)	(-1218)	(500)	(362)	(356)	(-)
		बकाया राशि	-5,583.94	291.06	5,332.77	-39.89	-	-15,685.24	-245.88	15,888.18	42.94	-
			(-2,429.7)	(-285.92)	(2,479.08)	(236.53)	(-)	(-6,333.37)	(-531.37)	(5,900.40)	(964.34)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-256.08	5.21	253.79	-2.92	-	-826.97	-61.12	910.99	-22.90	-
			(-58.40)	(0.24)	(54.22)	(3.94)	(-)	(-212.65)	(-22.45)	(166.16)	(68.95)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-239	-174	-224	-277	-914	-297	-217	-251	-289	-1,054
			(-1,969)	(-565)	(-278)	(-77)	(-2,889)	(-2,083)	(-582)	(-325)	(-88)	(-3,078)
		बकाया राशि	-2,537.47	-546.72	-1,223.85	-173.28	-4,481.31	-5,426.67	-714.53	-3,309.13	-318.91	-9,769.24
			(-1,897.74)	(-917.96)	(-4,624.5)	(-521.74)	(-7,961.95)	(-3,042.65)	(-1,386.89)	(-7,432.22)	(-1,273.83)	(-1,3135.59)
		संबंधित प्रावधान	-348.84	-15.28	-354.53	(-)	-718.65	-703.40	-26.36	-819.66	-0.00	-1,549.42
			(-187.81)	(-178.86)	(-499.44)	(-48.93)	(-915.04)	(-515.35)	(-221.48)	(-1,036.05)	(-66.43)	(-1,839.30)
7	31 मार्च 2016 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	301	520	2,336	90	3,247	549	569	2,533	104	3,755
			(676)	(1,273)	(1,351)	(463)	(3,763)	(1,112)	(1,370)	(1,505)	(476)	(4,463)
		बकाया राशि	23,122.42	578.73	9,210.75	146.17	33,058.07	39,055.37	1,243.16	25,404.71	413.95	66,117.19
			(27,437.97)	(770.82)	(5,140.13)	(305.27)	(33,654.17)	(55,842.83)	(2,139.61)	(12,378.20)	(868.03)	(71,228.67)
		संबंधित प्रावधान	403.03	7.13	30.54	0.03	440.73	1,231.68	39.02	546.63	0.98	1,818.31
			(1,095.69)	(12.58)	(138.97)	(5.73)	(1,252.98)	(3,064.59)	(126.43)	(394.14)	(53.39)	(3,638.56)

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान वर्तमान पुनर्संरचित ऋणियों को ₹4,731.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,491.65 करोड़) की अतिरिक्त संस्वीकृति दी गयी है।
2. ₹4,398.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3794.15 करोड़) की बंदी और ₹4,413.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3827.03 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान के लिए निकाली गई मानक आस्तियाँ कुल योग के कॉलम में शामिल नहीं की गयी है।

ग) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) 1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों का प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
ii) योग :तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	शून्य	शून्य
iii) उप कुल (क)	शून्य	शून्य
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकि / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	शून्य	शून्य
v) 31 मार्च तक अंतिम शेष (क - ख)	शून्य	शून्य

घ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	46,399	5,904
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	1,500.88	6,981.42
iii) समग्र प्रतिफल*	1,007.63	4,406.07
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/(हानि)#	(493.25)	(2,575.35)

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

इसमें ₹ 0.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.52 करोड़) की राशि जो खर्च/ (ब्याज) खाता में जमा किया गया है, भी शामिल है।

ङ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेची गई अनर्जक आस्तियों के सामने प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का ब्योरा।

(₹ करोड़ में)

	बैंक द्वारा अंतर्निहित स्वरूप में बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा संरक्षित		अंतर्निहित स्वरूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा संरक्षित		योग	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च 2016 तक प्रतिभूति प्राप्ति में निवेशों का बही-मूल्य	5,425.63	4,703.28	27.19	30.07	5,452.82	4,733.35
वर्ष के दौरान प्रतिभूति प्राप्ति में किए निवेशों का बही-मूल्य	783.92	3,337.48	2.65	2.05	786.57	3,339.53

च) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	11.70	177.42

छ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया राशि	शून्य	शून्य
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया राशि	शून्य	शून्य

ज) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	45,331	1,825
2) कुल बकाया राशि	2,168.54	10,852.55
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	955.62	4,294.60

झ) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	11,188.59	9,018.36

ञ) व्यवसाय अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.27%	7.61%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.25%	1.13%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.92%	1.94%
iv. आस्तियों पर आय*	0.46%	0.68%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	14.11	12.34
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	470.27	602.00

* (निवल आस्ति आधार पर)

ट) आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 मास	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	32,254.69	31,224.38	18,964.10	26,786.00	91,505.07	1,42,701.27	3,29,433.98	4,06,204.54	1,59,306.39	4,92,342.02	17,30,722.44
	(57,851.81)	(26,454.50)	(18,078.37)	(26,277.89)	(93,336.98)	(1,39,455.40)	(2,28,347.53)	(3,74,749.76)	(1,68,526.42)	(4,43,714.53)	(15,76,793.25)
अग्रिम	81,248.64	10,318.80	8,806.38	17,512.55	89,543.50	51,218.22	66,019.16	6,65,803.22	1,75,530.67	2,97,699.28	14,63,700.42
	(93,953.48)	(6,324.43)	(11,181.43)	(16,981.77)	(68,614.55)	(73,835.91)	(85,919.15)	(6,42,058.59)	(1,27,338.29)	(1,73,818.79)	(13,00,026.39)
निवेश	0.70	639.94	1,023.78	1,589.66	12,513.13	10,767.42	19,519.25	89,293.75	57,136.04	2,84,613.61	4,77,097.28
	(-)	(829.89)	(3,679.12)	(5,522.64)	(17,160.51)	(15,385.63)	(17,946.26)	(69,307.56)	(80,867.00)	(2,71,060.14)	(4,81,758.75)
उधार-राशियाँ	2,111.64	9,264.22	3,753.41	16,751.13	55,712.26	25,352.81	17,601.19	31,350.48	16,574.17	45,719.28	2,24,190.59
	(11,052.35)	(14,325.60)	(3,967.91)	(14,275.11)	(43,859.71)	(24,441.00)	(19,666.56)	(20,958.59)	(16,620.43)	(35,983.03)	(2,05,150.29)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	78,671.10	1,495.59	990.85	7,330.95	30,412.64	19,118.60	20,894.87	59,109.37	65,118.64	47,100.93	3,30,243.54
	(81,569.01)	(1,910.62)	(2,541.70)	(7,449.89)	(17,120.90)	(28,290.16)	(21,562.61)	(49,095.23)	(44,185.46)	(39,850.95)	(2,93,576.53)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	28,569.54	9,803.31	4,293.14	20,231.25	62,665.39	36,463.27	52,236.94	59,586.10	32,578.57	10,116.16	3,16,543.67
	(33,991.88)	(14,174.37)	(4,943.86)	(17,085.47)	(52,563.89)	(34,153.04)	(39,677.83)	(52,273.23)	(34,428.42)	(7,999.68)	(2,91,291.67)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश (उनकी प्रावधान राशि को घटाकर) को दर्शाते हैं

$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2015 के हैं)

18.5 एक्सपोजर

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहताहै।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
I) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	2,06,765.40	1,83,082.23
ऋण जो आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है यथा आवासीय संपत्ति प्राप्त हैं या प्राप्त होंगी या जो किराए पर हैं।	2,06,765.40	1,83,082.23
जिनमें से आवासीय इकाई खरीदने के लिए प्रति परिवार महानगरी क्षेत्रों (10 लाख से कम की जनसंख्या वाले) में ₹ 25 लाख तक एवं अन्य केंद्रों में ₹15 लाख तक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में गिने जाएंगे	1,04,934.43	94,330.55
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम क्षेत्र, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि गैर- निधि आधारित सीमा भी ऋण जोखिम में शामिल है।	27,364.60	20,761.65
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में निवेश	877.99	614.48
क) आवासीय	877.99	603.28
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0	11.20
II) अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	28,656.55	18,930.16
कुल	**2,63,664.55**	**2,23,388.52**

ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	4,026.53	3,727.32
2)	शेयरों (आइपीओ/ईएसओपी सहित)/बांडों/डिबेंचरों, तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर या बिना किसी जमानत के दिए गए अग्रिम	5.36	8.11
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	9,339.52	7,358.66

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	19.82	308.13
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियां	333.40	26.87
6)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण	516.87	285.76
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8)	शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	शून्य	शून्य
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	0.04	0.34
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित ऋण-जोखिम (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	1,618.44	1,873.05
पूंजी बाजार में कुल ऋण-जोखिम		**15,859.98**	**13,588.24**

ग) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर)

वर्ष के दौरान एसडीआर के अंतर्गत ऋण को इक्विटी में निम्नलिखित उधारकर्ताओं के लिए परिवर्तित किया गया:

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	कंपनी का नाम	इक्विटी में परिवर्तित कुल राशि
1	कोस्टल प्रोजेक्टस लिमिटेड	25.86
2	आइवीआरसीएल	200.00
3	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	24.12

घ) जोखिम श्रेणीवार देशगत ऋण-जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (निवल फंडेड) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है इसलिए यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिक एक्सपोजर		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	1.00	1.68	शून्य	शून्य
बहुत कम	69,481.69	52,107.06	78.60	56.89
कम	2,599.83	883.78	शून्य	शून्य
मध्यम कम	55,125.36	26,774.43	शून्य	शून्य
मध्यम	5,942.22	3,148.82	शून्य	शून्य
अधिक	6,914.11	5,790.96	शून्य	शून्य
अत्यधिक	2,790.41	2,296.82	शून्य	शून्य
प्रतिबंधित	4,182.70	3,390.41	शून्य	शून्य
ऋण अयोग्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**147,037.32**	**94,393.96**	**78.60**	**56.89**

ग) बैंक द्वारा यथोचित सीमा से अधिक ली गई एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम का ब्योरा:

निम्नलिखित मामलों में बैंक ने आरबीआई द्वारा निधारित विवेकपूर्णसीमा के अधिक एकल उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम लिया:

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	ऋण-जोखिम की उच्चत्तम सीमा	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर)	सीमा के अधिक जोखिम की अवधि	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल)	23,672.22	25,021.05	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	21,696.22

टिप्पणी :-

1. विवेकपूर्ण मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि बीएचईएल के संबंध में ऋण जोखिम विवेकपूर्ण सीमाओं के अतिरिक्त 5 प्रतिशत ऋण जोखिम लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए विवेकाधिकार के अंतर्गत है।
2. सभी ऋणी समूहों के लिए ऋण-जोखिम विवेकपूर्ण मानदंडों के अंदर है (वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान)

घ) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	3,15,779.06	2,59,109.61
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	2,183.46	5,832.72
ii) इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर(i) के अनुसार)	2,748.40	6,005.01

18.6 विविध :

क) अर्थदंडों का प्रकटन

शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

वित्तीय इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया, नई दिल्ली ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत ₹ 0.05 करोड़ का दण्ड लगाया है।

चालू वर्ष के दौरान, हाँग काँग मौद्रिक प्राधिकरण ने एएमएल अध्यादेश की धारा 21 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की है और 75,43,000 हांग-कांग डॉलर का अर्थ दंड लगाया है। (पिछले वर्ष विवेकपूर्ण नियंत्रण एवं संकल्प प्राधिकरण, पेरिस, फ्रांस ने एसबीआई पेरिस शाखा पर 3,00,000 यूरो का अर्थ दंड लगाया है)।

ख) एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थ दंड

बैंक पर एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.7 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएं

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

कर्मचारी की पेंशन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नियत हितलाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2015 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	51,616.04	45,236.99	7,182.35	6838.07
वर्तमान सेवा लागत	843.64	897.53	128.33	108.88
ब्याज लागत	4,237.68	4,193.47	589.67	639.36
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानि (लाभ)	6,212.17	4,537.90	451.06	533.18
संदत्त लाभ	(1,511.96)	(1,346.63)	(1,019.27	(937.14)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,246.16)	(1,903.22)	-	-
31 मार्च 2016 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	59,151.41	51,616.04	7,332.14	7182.35
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2015 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	49,387.97	42,277.01	7,110.25	7090.59
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,296.75	3,678.10	618.59	616.88
नियोक्ता द्वारा अंशदान	1,400.54	2,493.62	213.24	233.88
प्रदत्त हितलाभ	(1,511.96)	(1,346.63)	(1,019.27)	(937.14)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(162.93)	2,285.87	(43.04)	106.04
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	53,410.37	49,387.97	6,879.77	7110.25
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2016 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	59,151.41	51,616.04	7,332.14	7,182.35
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	53,410.37	49,387.97	6,879.77	7,110.25
कमी/(अधिशेष)	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	59,151.41	51,616.04	7,332.14	7,182.35
आस्तियाँ	53,410.37	49,387.97	6,879.77	7,110.25
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/आस्तियाँ	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	843.64	897.53	128.33	108.88
ब्याज लागत	4,237.68	4,193.47	589.67	639.36
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(4,296.75)	(3,678.10)	(618.59)	(616.88)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) अंतिम शेष	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	6,375.10	2,252.03	494.10	427.14
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	7,159.67	3,664.93	593.51	558.50
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,296.75	3,678.10	618.59	616.88
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(162.93)	2,285.87	(43.04)	106.04
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	4,133.82	5,963.97	575.55	722.92
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	7,159.67	3,664.93	593.51	558.50
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,246.16)	(1,903.22)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षित में मान्य	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(1,400.54)	(2,493.62)	(213.24)	(233.88)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना- आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	33.20%	23.13%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.59%	15.35%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	39.51%	29.82%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	--	27.79%
अन्य	4.70%	3.91%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	**ग्रेच्युटी योजनाएं**		**ग्रेच्युटी योजनाएं**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	8.06%	8.21%	7.86%	8.21%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.06%	8.70%	7.86%	8.70%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम
	(2006-08) अल्टीमेट	(2006-08) अल्टीमेट	(2006-08) अल्टीमेट	(2006-08) अल्टीमेट

योजना में अधिशेष / कमी ग्रेच्युटी योजना

तुलन - पत्र में ली गई राशि	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2013 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2014 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2015 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2016 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के अंत में देयता	6,462.82	7,050.57	6,838.07	7,182.35	7,332.14
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5,251.79	6,549.31	7,090.59	7,110.25	6,879.77
अंतर	1,211.03	501.26	(252.52)	72.10	452.37
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	300.00	200.00	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	911.03	301.26	(252.52)	72.10	452.37

एक्सपिरियंस समायोजन

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
योजना देयता (लाभ)/हानि	367.64	459.56	210.19	(24.69)	326.09
योजना आस्ति लाभ/(हानि)	32.58	62.46	23.87	106.04	(43.09)

योजना में अधिशेष / कमी पेंशन

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
को समाप्त वर्ष					
वर्ष के अंत में देयता	36,525.68	39,564.21	45,236.99	51,616.04	59,151.41
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	27,205.57	35,017.57	42,277.01	49,387.97	53,410.37
अंतर	9,320.11	4,546.64	2,959.98	2,228.07	5,741.04
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	9,320.11	4,546.64	2,959.98	2,228.07	5,741.04

एक्सपिरियंस समायोजन

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	1,677.80	345.90	7,709.67	1,732.86	5,502.35
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	130.16	419.58	335.40	2,285.87	(162.93)

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव/सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभव जन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है लेखा-परीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन ''कोई भी देयता''प्रतिबद्धता नहीं दिखाता, अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दिखाया गया है :

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2015 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	22,498.51	21,804.39
वर्तमान सेवा लागत	1,632.22	527.14
ब्याज लागत	2,026.72	1869.09
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,983.67	661.66
बीमांकिक हानि /(लाभ)	0.01	-
प्रदत्त लाभ	(2,981.43)	(2,363.77)
31 मार्च 2016 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	25,159.70	22,498.51
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2015 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	23,197.82	22,366.42
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,026.72	1,869.09
अंशदान	3,615.89	1,188.80
प्रदत्त हितलाभ	(2,981.43)	(2,363.77)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	126.32	137.28
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	25,985.32	23,197.82
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2016 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,159.70	22,498.51
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	25,985.32	23,197.82
कमी/(अधिशेष)	(825.62)	(699.31)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	825.62	699.31
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1632.22	527.14
ब्याज लागत	2,026.72	1869.09
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,026.72)	(1,869.09)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है।	1,632.22	527.14
तुलन-पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 को प्रारम्भिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1,632.22	527.14
नियोक्ता का अंशदान	(1,632.22)	(527.14)
तुलन-पत्र में ली गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

	भविष्य निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.36%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	20.55%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बॉण्ड	34.15%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	--
अन्य	4.94%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	**भविष्य निधि**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.86%	8.21%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.75%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु संख्या सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर एक निर्धारित प्रतिलाभ दर लागू होती है। निधि के द्वारा ब्याज जमा किया जा रहा है। ब्याज की दर कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत जारी किए गए हैं अतः इसे परिभाषित हितलाभ योजना माना जाना चाहिए।

ii. नियत अंशदान योजना

बैंक ने 01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार के देखरेख में किया जाएगा। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹191.18 करोड़ का अंशदान दिया है (पिछले वर्ष ₹145.51 करोड़ था)।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ (अनिधिक दायित्व)

(क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
हित लाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	3,756.50	3,079.47
चालू सेवा लागत	230.94	135.55
ब्याज लागत	308.41	287.62
बीमांकिक हानियां (लाभ)	590.64	681.86
प्रदत्त लाभ	(511.00)	(428.00)
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित निवल लागत	4,375.49	3,756.50
लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित निवल लागत		
चालू सेवा लागत	230.94	135.55
ब्याज लागत	308.41	287.62
बीमांकिक हानियां (लाभ)	590.64	681.86
हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 -''कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान'' में शामिल	1,129.99	1,105.03

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	3,756.50	3,079.47
यथा उपर्युक्त व्यय	1,129.99	1,105.03
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(511.00)	(428.00)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल देयता / (आस्ति)	4,375.49	3,756.50

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.86%	8.21%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

(ख) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घ कालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ (-) 7.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-) 40.05 करोड़) की राशि का (प्रतिलेखन)/प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उनके प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घाकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	**दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	10.00	(51.00)
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	रजत जयंती अवार्ड	(7.79)	1.71
4	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	(0.54)	6.22
5	रुग्ण अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(9.29)	3.02
	योग	**(7.62)**	**(40.05)**

ख) खंड सूचना

1. खंड अभिनिर्धारण

I) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक व्यवस्था नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

i) **राजकोष** - राजकोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. राजकोष खंड की आय मूलतः व्यापार परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय पर आधारित है.

ii) **कारपोरेट/थोक बैंकिंग** - कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण- गतिविधियां सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं.

iii) **खुदरा बैंकिंग** - खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित- वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

iv) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) **देशी परिचालन** - भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय

ii) **विदेशी परिचालन** - भारत से बाहर परिचालित शाखाएं/ कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयां

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. राज कोषीय एवं कारपोरेट/ थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है।

IV) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं.

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंड सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	राजकोष	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय #	49,572.24 (41,095.95)	63,983.80 (61,445.90)	76,531.65 (71,248.38)	- (-)	1,90,087.69 (1,73,790.23)
अनाबंटित आय #					1,755.98 (1,182.73)
कुल आय					1,91,843.67 (1,74,972.96)
परिणाम #	8,246.77 (7,554.38)	-11,466.70 (-308.47)	18.967.10 (14,758.80)	- (-)	15,747.17 (22,004.71)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					-1,973.12 (-2690.75)
कर पूर्व लाभ #					13,774.05 (19,313.96)
कर #					3,823.40 (6,212.39)
असाधारण लाभ #					शून्य शून्य
निवल लाभ #					9,950.65 (13,101.57)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	5,07,261.72 (4,99,202.87)	8,74,603.31 (7,83,263.69)	8,57,750.16 (750,148.40)	- (-)	22,39,615.19 (20,32,614.96)
अनाबंटित आस्तियां *					19,447.84 (15,464.84)
कुल आस्तियां *					22,59,063.03 (20,48,079.80)
खंड देयताएं *	2,92,776.35 (3,08,334.71)	7,96,500.56 (6,88,172.53)	965,368.29 (8,68,722.52)	- (-)	20,54,645.20 (18,65,229.76)
अनाबंटित देयताएं *					60,143.40 (54,411.81)
कुल देयताएं *					21,14,788.60 (19,19,641.57)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व #	1,78,322.68	1,64,304.43	11,765.01	9,485.80	1,90,087.69	1,73,790.23
परिणाम #	5,936.62	9,972.10	4,014.03	3,129.47	9,950.65	13,101.57
आस्तियां *	19,30,789.77	17,47,311.56	3,28,273.26	3,00,768.24	22,59,063.03	20,48,079.80
देयताएं*	17,86,515.34	16,18,873.33	3,28,273.26	3,00,768.24	21,14,788.60	19,19,641.57

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

ग) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

3 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
2. एसबीआई कनाडा बैंक
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. कॉमर्शियल इन्डो बैंक एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
7. बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंडट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप वैंचर्स लि.
6. एसबीआई कैप ट्रस्टी कं. लि.
7. एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा. लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
15. एसबीआई फाउंडेशन

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैप (यूके)लि.
2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेस लिमिटाडा

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
2. सी-एजटेकनोलॉजीज लि.
3. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मेघालय ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंक‘
10. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (31.10.2015 तक)
3. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगी)
4. श्री बी. श्रीराम
   - प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) (01.11.2015 तक)
   - प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (02.11.2015 से)
5. श्री रजनीश कुमार
   - प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) (26.05.2015 से 01.11.2015 तक)
   - प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) (02.11.2015 से)
6. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) (02.11.2015 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''सरकार-नियंत्रित उद्यम'' के रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
क. 31 मार्च को बकाया			
उधार राशि	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
जमा राशि	39.07	शून्य	39.07
	(35.80)	(शून्य)	(35.80)
अन्य देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य
	(0.02)	(शून्य)	(0.02)
बैंकों में शेष	शून्य	शून्य	शून्य
	(2.12)	(शून्य)	(2.12)
अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
निवेश	41.55	शून्य	41.55
	(41.55)	(शून्य)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
ख) वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
जमा राशि	51.95	शून्य	51.95
	(57.06)	(शून्य)	(57.06)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
अन्य देयताएँ	0.02	शून्य	0.02
	(0.02)	(शून्य)	(0.02)
बैंकों में शेष	2.12	शून्य	2.12
	(5.94)	(शून्य)	(5.94)
अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
निवेश	41.55	शून्य	41.55
	(41.55)	(शून्य)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
ग) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
आय- ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
खर्च-ब्याज	1.86	शून्य	1.86
	(2.78)	(शून्य)	(2.78)
लाभांश से अर्जित आय	27.32	शून्य	27.32
	(33.82)	(शून्य)	(33.82)
अन्य आय	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
अन्य व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
	(3.09)	(शून्य)	(3.09)
भू-भाग/भवन और अन्य आस्तियाँ की बिक्री पर लाभ/(हानि)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
प्रबंधन संविदाएँ	शून्य	1.58	1.58
	(शून्य)	(1.03)	(1.03)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार के लेनदेन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

घ) परिचालन पट्टों के लिए देयताएं

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो बैंक के विकल्प पर नवीकरण योग्य है।

क) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात नहीं	277.70	191.05
1 वर्ष के पश्चात और 5 वर्षों के पश्चात नहीं	1165.78	674.79
5 वर्षों के पश्चात	311.17	178.17
योग*	**1,754.65**	**1,044.01**

ख) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते के लिए अभिनिर्धारित की गई राशि ₹2,110.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,659.09 करोड़) है।

ङ) प्रति शेयर उपार्जन*:

बैंक ने लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर "मूल आय" की गणना की गई है. वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	746,57,30,920
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	29,70,46,122	0
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या*	776,27,77,042	746,57,30,920
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	766,55,68,627	746,57,30,920
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	766,55,68,627	746,60,06,199
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	9,950.65	13,101.57
प्रति शेयर मूल आय (₹)	12.98	17.55
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	12.98	17.55*
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1	1

* प्रति शेयर कम हुई उपार्जन राशि की गणना 1 अप्रैल 2016 को आबंटित इक्विटी शेयरों से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर की गई है।

च) आय पर कर का लेखांकन

i. वर्तमान कर :-

वर्तमान कर के रूप बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹4,003.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,719.11 करोड़) नामे किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है और विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान कर में उपयुक्त कर छूट ली गई है।

i. आस्थगित कर :-

वर्ष के दौरान आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹ 245.47 करोड़ नामे किया गया। (पिछले वर्ष ₹ 477.56 करोड़ जमा किया गया)

iii. बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) ₹ 2,212.44 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹1,987.14 करोड़) रही, जिसमें अन्य देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत शामिल की गई ₹ 2,684.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,353.12 करोड़) और अन्य आस्तियों में शामिल की गई ₹472.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹365.98 करोड़) की आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण नियत हितलाभ योजना के लिए प्रावधान	-	451.63
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,605.78	1,831.55
प्रावधान/निर्दिष्ट पुनर्संरचित मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान/आरबीआई के निर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड के तहत मानक आस्तियाँ	1,791.21	1,132.65
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	238.29	-
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि पर डीटीए	262.27	-
बट्टा का परिशोधन	11.79	-
विदेशी कार्यालयों के कारण	472.52	365.98
योग	**4,381.86**	**3,781.81**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	174.61	155.22
प्रतिभूतियों पर ब्याज*	3,476.39	3,286.61
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन विशेष रिजर्व निर्मित	2,941.40	2,325.33
विदेशी कार्यालयों के कारण	1.90	1.79
योग	**6,594.30**	**5,768.95**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	**(2,212.44)**	**(1,987.14)**

छ) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹ 38.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 38.28 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता%
1	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	9.44 (9.44)	भारत	40%
2	सी-एजटेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	0.93 (0.78)	बरमुडा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%

#एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रखे गए शेयर के आधार पर कम्पनी ने 100% प्रावधान किया है।
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

मानक एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 16 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 15 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	174.57	159.14
जमा-राशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	5.31	8.15
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	101.07	76.93
योग	**280.95**	**244.22**
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमा-राशियाँ	0.01	-
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	114.50	96.36
निवेश	9.00	9.69
अग्रिम	-	
अचल आस्तियाँ	31.02	35.75
अन्य आस्तियाँ	126.42	102.42
योग	**280.95**	**244.22**
पूँजी वायदे		
अन्य आकस्मिक देयताएँ	6.04	3.51
आय		
अर्जित ब्याज	6.75	6.09
अन्य आय	328.38	285.04
योग	**335.13**	**291.13**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.96	1.23
परिचालन व्यय	260.30	223.70
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	22.18	18.73
योग	**283.44**	**243.66**
लाभ	**51.69**	**47.47**

ज) आस्तियों की अपसामान्यता

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू होती हो।

झ) आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखा मानक 29)

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा. बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का भी एक पक्ष है.
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि पर देयताएँ	यह मद अंशतः चुकता निवेशों की चुकाने हेतु शेष राशि के प्रति देयता दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं ।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य कार्य-व्यवसाय के भाग स्वरूप विदेशी विनिमय संविदाएं करता है जिसमें विदेशी मुद्रा को भविष्य में पूर्व-निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए वायदा किया जाता है। आनुमानिक राशियों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेनों के संबंध में, बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसके फलस्वरूप बकाया लेनदेनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार, अधिकांश सकल आनुमानिक राशि इस संविभाग की मूल राशि है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक सहभागिता से मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। मुद्रा विनिमय पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/पूंजी को एक मुद्रा में से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के नकदी प्रवाहों की प्रतिबद्धताएं हैं। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई आनुमानिक राशि को संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी आनुमानिक राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि खाता के तहत बैंक की देयताएं और अन्य विविध आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ञ) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	443.58	327.31
वर्ष के दौरान वृद्धि	190.90	206.59
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	6.00	26.66
उपयोग में नहीं लाई गई राशि जिसे वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित किया गया	227.38	63.66
अंतिम शेष	**401.10**	**443.58**

18.8 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ जिन्हें लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	4,003.27	6,719.11
- आस्थगित कर	245.47	-477.56
- आय कर / फ्रिंज लाभ कर का प्रतिलेखन	-425.34	-39.16
- अन्य कर	-	10.00
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	149.56	-590.07
प्रतिचक्रीय बफर से आहरण	-1,149.00	-382.00
अनार्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	29,880.77	17,487.41
पूनर्विन्यासित आस्तियों के लिए प्रावधान	-1,747.63	802.65
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,157.55	2,435.37
अन्य प्रावधान	192.50	469.95
योग	**33,307.15**	**26,435.70**

2. अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	25.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इतिशेष	**25.14**	**25.14**

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति

क. शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	30,896	21,413
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	12,22,250	16,34,042
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	12,37,811	16,24,559
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	15,335	30,896

एक कार्यदिवस में निपटान किए गए शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	15	9
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	16	39
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	31	33
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-	15

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित मूलधन या ब्याज के भुगतान के कारण दायर किए गए मामलों की कोई सूचना नहीं है।

6. अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने अपनी अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2016 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कोई राशि बकाया नहीं है परंतु पिछले वर्ष ₹ 715.16 करोड़ थी.

7. प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2016 तक बैंक का अर्नजक आस्तियाँ अनुपात हेतु 60.69% प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष 69.13%)।

8. बैंक - बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	379.94	281.16
एसबीआई जनरल इंश्योरेंसकं. लि.	82.25	62.86
मनु लाइफ फाइनैंसियल लि. एवं एनटीयूसी	1.65	0.57
टोकियो मैरिन, एसीई	0.16	0.21
योग	**464.00**	**344.80**

9. जमाराशियों / अग्रिमों तथा जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का क्रेंद्रीकरण

क. जमाराशियों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	1,13,783.78	1,01,148.22
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.57%	6.41%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम	2,34,099.47	2,06,512.83
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस वृहतम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	15.51%	15.46%

ग. ऋण - जोखिमों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम	3,51,117.08	3,45,152.13
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण - जोखिम में बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण - जोखिम का प्रतिशत	14.93%	15.88%

घ. अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	26,863.55	1,839.51

10. क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष			प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,26,455.87	9,839.11	7.78	1,12,705.39	10,216.74	9.06
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	91,144.42	11,602.30	12.73	65,699.72	7,087.13	10.79
3	सेवाएं	32,341.80	1,747.36	5.40	26,146.41	1,699.94	6.50
4	वैयक्तिक ऋण	89,625.80	1,033.79	1.15	90,352.32	1,202.51	1.33
	उप-योग (क)	**3,39,567.89**	**24,222.56**	**7.13**	**2,94,903.84**	**20,206.32**	**6.85**
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त**						
1	**कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप**	5,644.32	496.94	8.80	5,024.05	199.91	3.98
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	7,22,102.72	67,674.75	9.37	6,66,218.20	31,152.77	4.68
3	सेवाएं	1,90,365.38	4,355.62	2.29	1,75,819.02	4,014.14	2.28
4	वैयक्तिक ऋण	2,51,819.51	1,422.93	0.57	1,93,458.59	1,152.20	0.60
	उप-योग (ख)	11,69,931.93	73,950.24	6.32	10,40,519.86	36,519.02	3.51
ग	**योग(क)+(ख)**	15,09,499.82	98,172.80	6.50	13,35,423.70	56,725.34	4.25

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,28,273.26	3,00,768.24
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	7,785.13	2,618.65
3	कुल राजस्व	11,765.01	9,485.80

12. तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाली संस्थाएं (एसपीवी)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाली संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशी	विदेशी
चालू वर्ष	शून्य	शून्य
पिछला वर्ष	शून्य	शून्य

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	शून्य	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम		
	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम		
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम	शून्य	शून्य
	i) प्रथम हानि		
	ii) अन्य		
	ख) तुलन पत्र जोखिम	शून्य	शून्य
	i) प्रथम हानि		
	ii) अन्य		
4.	एमएमआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेन - देन से संबंधित जोखिम की रकम		
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम		
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	शून्य	शून्य
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	शून्य	शून्य
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ख) तुलन पत्र जोखिम		
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	शून्य	शून्य
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	शून्य	शून्य
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		

14 . ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क्र.सं	विवरण	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1	वर्ष के दौरान हुए लेनदेनों की संख्या				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) नकद निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा				
	क) उनमें सेजो भौतिक रूप से निपटाएं गए/ जाएंगे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) नकद निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/ प्रदत्त किए गए				
	क) वर्तमान वर्ष से संबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) पिछले वर्ष से संबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
4	पिछले वर्ष इसी तारीख से सीडीएस लेनदेन से सम्बंधित निवल आय / लाभ (खर्च/हानि)				
	क) प्रीमियम अदा/ प्राप्त किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान				
	• अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	• प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	31 मार्च तक बकाया लेनदेन				
	क) लेनदेनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) संरक्षण की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया				
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	9,251.34	15,442.79
ii.	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	9,251.34	15,442.79
iii.	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोज़र की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	0.39	0.71
iv.	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	शून्य	शून्य

16. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अथशेष	757.14	निरंक
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	123.78	757.14
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	शून्य	शून्य
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इति शेष	880.92	757.14

17. अनारक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी. बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकता हेतु विदेशी मुद्रा जोखिम गैर-बचाव व्यवस्था के लिए ₹161.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 293.08 करोड़) की गयी है मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम एवं वृद्धिशील पूंजी के रूप में ₹237.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹408.44 करोड़) की व्यवस्था की गयी है।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात :

क. एकल एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ अपनाया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर रखें जिन्हें नकदी में परिवर्तित कर अत्यधिक तरलता तनाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिन की समयावधि हेतु तरलता आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

एलसीआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- 'उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)' अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्तायुक्त आस्तियाँ शामिल है जिनकी बिक्री त्वरित की जा सकती है या तनाव के परिदृश्य में निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात् स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 1 आस्तियाँ 0% हेयरकट मार्जिन वाली है जबकि स्तर 2, 2क आस्तियाँ न्यूनतम 15% हेयरकट मार्जिन और स्तर 2ख आस्तियाँ न्यूनतम 50% हेयरकट वाली हैं। कुल शुद्ध नगदी बहिर्गमन कुल अनुमानित नकद बहिर्गमन से कुल अनुमानित नकद अंतर्गमन के अगले 30 कैलेंडर दिनों से कम है। कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह की गणना विभिन्न वर्गों के या प्रकारों के देयताओं के बकाया शेषों तथा तुलन पत्र से इतर दरों की प्रतिबद्धताओं जिसके आधार पर इनका निर्धारण किया जाना है, उनको गुणा करके निकाला जाता है। कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह की गणना विभिन्न वर्गों के संविदागत प्राप्यों को अपेक्षित दरों पर गुणा करके की जाती है जिसका सकल कैप 75% कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का होता है।

क) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

		वित वर्ष - 2015-16		तिमाही 4 - 2015-16	
	एलसीआर घटक	**कुल अभारित कीमत (औसत)**	**कुल भारित कीमत (औसत)**	**कुल अभारित कीमत (औसत)**	**कुल भारित कीमत (औसत)**
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)				
1	**कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)**		2,39,970		2,50,927
	नकदी बहिर्गमन				
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियाँ, जिनमें से :				
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	1,42,631	7,132	1,61,391	8,070
	(ii) कम स्थिर जमाराशियाँ	10,66,580	1,06,658	11,26,491	1,12,649
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से :				
	(i) परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	565	141	0	0
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	3,77,180	2,27,113	3,72,702	2,27,461
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	26,129	13	59,444	29
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से				
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	70,333	70,333	76,881	76,881
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्मगमन	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	1,85,287	26,327	2,08,731	29,801

(₹ करोड़ में)

		वित वर्ष - 2015-16		तिमाही 4 - 2015-16	
एलसीआर घटक		**कुल अभारित कीमत (औसत)**	**कुल भारित कीमत (औसत)**	**कुल अभारित कीमत (औसत)**	**कुल भारित कीमत (औसत)**
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	12,445	12,445	14,283	14,283
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	3,71,624	17,989	3,65,189	15,889
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**	**22,52,774**	**4,68,151**	**23,85,112**	**4,85,063**
नकदी अंतर्वाह					
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	3,324	0	312	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोज़र से अंतर्वाह	1,34,289	1,17,996	1,41,656	1,23,564
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	39,325	31,188	41,950	32,873
12	**कुल नकदी अंतर्वाह**	**1,76,938**	**1,49,184**	**1,83,918**	**1,56,437**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**2,39,970**		**2,50,927**
14	**कुल निवल नकदी बहिर्गमन**		**3,18,967**		**3,28,626**
15	**चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)**		**75.23%**		**76.36%**

उपरोक्त एलसीआर प्रकटीकरण टेंपलेट भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी विदेशी शाखाओं के भारित तथा अभारित एलसीआर के औसत मूल्य को दर्शाता है। औसत की गणना माह-अंत के निम्न के मूल्यों के आधार पर की गई है:

क. संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2015-16

ख. मार्च 2016 को समाप्त तिमाही

ऊपर दर्शायी गई दोनों स्थितियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 70% से अधिक है (60% दिसंबर 2015 तक तथा 70% 1 जनवरी 2016 से)। बारह महीनों (वित्तीय वर्ष 15-16) के औसत के आधार पर बैंक का एलसीआर 75.23% आता है और 76.36% पिछले तीन महीने के औसत (तिमाही 4 वित्तीय वर्ष15-16) आधार पर होता है। तिमाही 4 वित्तीय वर्ष15-16 का औसत एचक्यूएलए ₹250,927 करोड़ था जिसमें लेवल1 की आस्तियां कुल एचक्यूएलए तथा नकदी, सीआरआर आधिक्य एवं विदेशी राष्ट्रों द्वारा जारी 0% जोखिम भारित मार्केटेबल सिक्यूरिटी का करीब 92% थीं। सरकारी प्रतिभूति कुल लेवल1 आस्ति का 88% है। तुलनपत्र के आकार में वृद्धि होने के कारण कुल निवल नकदी बहिर्गमन तिमाही 4 वित्तीय वर्ष15-16 में बढ़ा है। डेरिवेटिव एक्सपोजर समान अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह के कारण लगभग नगण्य है। पिछली तिमाही में यूएसडी महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा थी जिसका बैंक के तुलन पत्र में 5% अधिक हिस्सा था। तिमाही 4 वित्तीय वर्ष15-16 में औसत यूएसडी एलसीआर 82% था।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन नीति (एएलएल) द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। देशीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरिज, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) को रिपोर्ट करती है। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन नीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है जिससे निधियन के स्रोत का विविधिकरण हो तथा यह सुनिश्चित हो सके कि वह बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किए जाते हैं। मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के साथ-साथ बैंक संरचनात्मक दैनिक तरलता विवरण तैयार करता है ताकि बैंक की तरलता आवश्यकताओं का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। आगे, गतिशील तरलता रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं ताकि तरलता आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जा सके और तदनुसार कार्यनीति बनाई जा सके।

बैंक में एचक्यूएलए को मुख्यतः एसएलआर निवेश के रूप में बनाए रखता है जो एसएलआर की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक रखा जाता है। खुदरा जमा कुल निधियन स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और ऐसे निधियन स्रोत पर्याप्त विविधिकृत होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक के पास भविष्य की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

ख. समेकित एलसीआर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2015 को जारी अपने पूरक दिशा-निर्देशों में 1 जनवरी 2016 से समेकित एलसीआर के कार्यान्वयन का अनुबंध किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में छह देशीय बैंकिग तथा सात विदेशी बैंकिग सहायक शामिल हैं। ये हैं भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी,

मास्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) लि., एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉरिसस लि., पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया।

एसबीआई समूह एलसीआर तीन माह के औसत के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2016 को 77.21% है जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

		वित्त वर्ष - 2015-16	तिमाही 4 - 2015-16
एलसीआर घटक			
1	**उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए))**		3,25,539
नकदी बहिर्गमन			
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियाँ, जिनमें से :		
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	2,42,670	12,134
	(ii) कम स्थिर जमाराशियाँ	14,19,909	1,41,991
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से :		
	(i) परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	4,540	1,127
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	494,122	2,87,505
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	66,768	5,872
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से		
	(i)डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	99,420	99,420
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्मगमन	0	0
	(iii)ऋण एवं तरलता सुविधाएं	2,18,045	33,777
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	22,415	22,415
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	4,53,671	17,154
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**	**30,21,560**	**6,21,395**
नकदी अंतर्प्रवाह			
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	1,440	331
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोज़र से अंतर्वाह	1,85,061	1,57,195
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	55,503	42,258
12	**कुल नकदी अंतर्वाह**	2,42,004	1,99,784
13	**कुल एचक्यूएलए**		3,25,539
14	**कुल निवल नकदी बहिर्गमन**		4,21,611
15	**चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)**		77.21%

समूह में एचक्यूएलए को मुख्यतः एसएलआर निवेश के रुप में बनाए रखता है जो एसएलआर की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक रखा जाता है। खुदरा जमा कुल निधियन स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और एसे निधियन स्रोत पर्याप्त विविधिकृत होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक के पास भविष्य की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

19. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

20. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री में हुई ₹461.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,803.19 करोड़) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी बीपीबीसी सं 98 /21.04.132/ 2013-14, दिनांक 26 फरवरी 2014 के निर्देशों के अनुसार दो वर्षों की अवधि में परिशोधित की जा रही है। इसके फलस्वरुप, ₹1,509.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹623.78 करोड़) को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खोते को नामे किया गया है। ₹1,131.01 करोड़ (गत वर्ष 2,179.42 करोड़) राशि 31 मार्च 2016 को अपरिशोधित है।

21. प्रति-चक्रीय प्रवधानीकरण बफर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर" पर दिनांक 30 मार्च 2015 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 79/21.04.048/2014-15 के माध्यम से बैंकों को 31 दिसंबर 2014 तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी) के 50% तक को संबंधित बैंकों के निदेशक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है। तदनुसार बैंक ने ₹1149 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹382 करोड़ का उपयोग किया गया) की सीसीपीबी का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति एवं बोर्ड की अनुमति से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया है।

22. आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एओआर)

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एओआर) के भाग स्वरूप बैंकों को कुछ अग्रिमों को पुनः वर्गीकृत/ अतिरिक्त प्रावधान पिछली दो तिमाहियों अर्थात् दिसंबर 2015 और मार्च 2016 को समाप्त तिमाही में करने की सूचना दी थी। बैंक ने तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है।

23. खाद्यान्न क्रेडिट

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में बैंक ने विवेकपूर्ण कदम के रूप में एक राज्य सरकार की बकाया खाद्यान क्रेडिट के लिए 7.5% का प्रावधान किया है जिसकी राशि ₹543.50 करोड़ की होती है।

24. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास

वर्तमान वर्ष के दौरान कुछ आस्तियों जैसे एटीएम, कैश डिस्पेंसिंग मशीन, सिक्का डिस्पेंसिंग मशीन, कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग उपकरण की अनुमानित उपयोग अवधि में परिवर्तन किया गया है। वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव नगण्य माना गया है।

25. विदेश स्थित कार्यालयों से भारत में निधि के रिपैट्रिएशन पर विनिमय लाभ तथा विदेश स्थित कार्यालयों की पूंजी निधि के ऐतिहासिक लागत पर पुनर्स्थापन के कारण ₹2,033.83 करोड़ की राशि को अन्य आय में शामिल किया गया है।

26. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र के अनुसरण में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तथा विकास निधि और अन्य संबंधित जमाओं की अनुसूची 11 तथा अन्य आस्तियों को अनुसूची 8 में पुनः वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप, ऐसी जमा पर ब्याज को अनुसूची 11 में निवेश से आय के बजाय अन्य में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

27. जहाँ आवश्यक था वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष वर्गीकरण के अनुसार तालमेल बैठा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक/लेखांकन मानदंडों के दिशा-निर्देशों के अनुसार जहाँ पहली बार आंकड़ों का प्रकटीकरण किया गया है वहां पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण 31मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		13774,05,74	19313,96,20
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1700,30,45	1116,49,32
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		16,69,37	42,74,99
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		151,67,43	0
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(108,00,00)	0
उचित मुल्य में आई कमी और अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान		26984,14,36	17908,05,50
मानक आस्तियों पर प्रावधान		2157,54,91	2435,37,49
निवेशों पर मूल्यह्रास (मूलवर्धन) के लिए प्रावधान		149,55,88	(590,07,29)
आकस्मिक देयताओं सहित अन्य प्रावधान		192,49,87	469,95,29
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों सहयोगियों में किए गए निवेशों से आय		(475,82,57)	(677,03,43)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		3722,80,38	3822,78,30
		48265,45,82	43842,26,37
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		153929,19,11	182384,74,02
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		12902,76,40	22057,84,75
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में वृद्धि/(कमी)		5954,00,84	(80924,33,06)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(190658,16,81)	(108105,72,87)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		23446,33,07	34437,35,30
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(34583,68,76)	(61812,21,44)
गैर-एकीकरण परिचालनों में निवेशों के निपरान पर एफसीटीओर में कमी		(873,92,35)	0
		18381,97,32	31879,93,07
कर वापसी/कर भुगतान		(7185,42,60)	(4258,90,17)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**11196,54,72**	**27621,02,90**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि)/कमी		(1593,77,02)	(1444,77,30)
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में किए गए निवेशों से आय		108,00,00	0
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी से प्राप्त लाभांश		475,82,57	677,03,43
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(2738,42,72)	(2490,36,07)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3748,37,17)**	**(3258,09,94)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर के निर्गम पर से प्राप्त राशि		5384,49,57	0
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम (मोचन) से प्राप्त राशि		0	2970,00,00
पूंजीगत लिखतों का निर्गम (मोचन)		5902,84,20	(200,00,00)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(3722,80,38)	(3822,78,30)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		(3058,65,86)	(1236,33,43)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त /(में प्रयुक्त)निवल नकदी	(ग)	**4505,87,53**	**(2289,11,73)**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों पर प्रभाव	(घ)	**757,82,36**	**132,33,71**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(क)+(ख)+(ग)+(घ)	**12711,87,44**	**22206,14,94**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**154755,78,21**	**132549,63,27**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**167467,65,65**	**154755,78,21**

टिप्पणी

नकदी एवं नकदी समतुल्य:	**31.03.2016**	**31.03.2015**
नकदी एवं भा. रि. बैंक में जमाराशियां	129629,32,53	115883,84,35
बैंकों में जमाराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	37838,33,12	38871,93,86
योग	**167467,65,65**	**154755,78,21**

हस्ताक्षरी:

पी. के. गुप्ता
एम.डी. (सी एण्ड आर)

वी. जी. कन्नन
एम.डी. (ए एण्ड एस)

बी. श्रीराम
एम.डी. (सी बी जी)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमिन
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी
डॉ.गिरीश कुमार आहूजा
डॉ.पुष्पेन्द्र राय
श्री सुनील मेहता

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरीयन के बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 004532 S

कृते मे. वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

अजय गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 090104
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते मे. मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते मे. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस के चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 003124
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते मे. एस एल छाजड एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते मे. मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517 N

कृते मे. एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते मे. एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते मे. बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी एस रावत
भागीदार: स.सं.: 083030
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मे. मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

कृते मे. एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार: स.सं.: 18088
फर्म पंजी. सं.: 003790 S

कृते मे. बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते मे. जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: 083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते मे. अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2016

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च, 2016 की वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की विवरणियां शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 (बयालीस) शाखाओं के, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 8,903 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की तथा

   iii) विदेश स्थित 55 शाखाएं, जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की है।

   हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा चुना गया। तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में 8,714 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखांकन इकाईयों सहित) की विवरणियां भी शामिल है, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 4.03%, जमाराशियों में 17.81%, ब्याज आय में 4.99% तथा ब्याज व्यय में 16.08% है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

2. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा - नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों, जो बैंक के वित्तीय स्थिति की सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी के अंर्तगत वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है। इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबंधित है, ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं, ताकि इन परिस्थतियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशालीता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमे विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

   i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही है, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि

वह 31 मार्च 2016 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एव हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

iii) नकदी प्रवाह विवरण इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

ध्यानाकर्षण

7. हम अनुसूची 18 के टिप्पणी 18 की 'लेखा-टिप्पणियों' की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

क) टिप्पणी 18.8 का पैरा 20: पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री पर ₹1,131.01 करोड़ की हानि का अपरिशोधन।

ख) टिप्पणी 18.8 का पैरा 21: वर्ष के दौरान ₹1,149 करोड़ का प्रतिचक्रीय बफर का उपयोग।

उपर्युक्त दर्शाए गए मामलों के संबंध में हमारे विचार सापेक्ष नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं ।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि :

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मे. वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरीयन के बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 004532 S

कृते मे. वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

अजय गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 090104
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते मे. मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते मे. चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस के चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 003124
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते मे. एस एल छाजड एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते मे. मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517 N

कृते मे. एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते मे. एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते मे. बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी एस रावत
भागीदार: स.सं.: 083030
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मे. मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

कृते मे. एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार: स.सं.: 18088
फर्म पंजी. सं.: 003790 S

कृते मे. बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते मे. जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: 083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते मे. अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई, 2016

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	776,27,77	746,57,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	179816,08,85	160640,96,97
अल्पांश हित		6267,40,44	5497,11,75
जमाराशियाँ	3	2253857,56,44	2052960,78,88
उधार राशियाँ	4	258214,39,05	244663,46,71
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	271965,91,64	235601,10,84
योग		**2970897,64,19**	**2700110,02,46**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	160424,56,91	144287,54,67
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	43734,89,64	44193,50,13
निवेश	8	705189,07,67	673507,48,44
अग्रिम	9	1870260,89,28	1692211,33,41
अचल आस्तियाँ	10	15255,68,28	12379,29,52
अन्य आस्तियाँ	11	176032,52,41	133530,86,29
योग		**2970897,64,19**	**2700110,02,46**
आकस्मिक देयताएँ	12	1184201,34,24	1190338,69,09
संग्रहण के लिए बिल		106611,67,61	105970,51,47
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(चेरीयन के. बेबी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 16043
फर्म पंजी सं. : 0045325S

(पी. के. गुप्ता)
एम.डी. (सी एण्ड आर)

(वी. जी. कन्नन)
एम.डी. (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एम.डी. (सी बी जी)

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी: 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1प्रति शेयर (पिछले वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 776,35,98,072 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1(पिछले वर्ष 746,65,61,670 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति इक्विटी शेयर)	776,35,98	746,65,61
अभिदत्त और संदत्त पूंजी: 776,27,77,042 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर, (पिछले वर्ष ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के 746,57,30,920)	776,27,77	746,57,31
[उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 14,45,93,240 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 16,04,31,560 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं, जो 1,44,59,324 (पिछले वर्ष 1,60,43,156) वैश्विक डिपाजिटरी के रूप में हैं]**		
योग	**776,27,77**	**746,57,31**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	57789,72,97		52885,09,44	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3709,43,37		4904,63,53	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	61499,16,34	-	57789,72,97
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ #**				
	अथशेष	2816,00,26		2500,48,95	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	538,20,31		315,51,31	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1,09	3354,19,48	-	2816,00,26
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	41444,68,60		41444,68,60	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	8333,44,99		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	8,65,88	49769,47,71	-	41444,68,60
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6765,70,93		6759,69,99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	937,97,19		98,24,78	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	890,05,13	6813,62,99	92,23,84	6765,70,93

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	-		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1374,03,37		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	1374,03,37		
VI	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	49208,96,59		41001,62,17	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	4885,36,61		8228,28,70	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	368,57,53	53725,75,67	20,94,28	49208,96,59
VII	**लाभ और हानि खाते की शेष**		3279,83,29		2615,87,62
योग			**179816,08,85**		**160640,96,97**

\# इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹242,83,39 हजार (पिछले वर्ष ₹ 237,49,80 हजार) शामिल है

\## समेकन समायोजनों को घटाकर

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	6740,88,18	7247,03,57
		(ii) अन्य से	163938,91,29	145818,36,10
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	744908,74,55	656490,39,45
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	9082,28,40	11852,80,26
		(ii) अन्य से	1329186,74,02	1231552,19,50
	योग		**2253857,56,44**	**2052960,78,88**
ख.	I.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2143972,00,39	1948918,04,67
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	109885,56,05	104042,74,21
	योग		**2253857,56,44**	**2052960,78,88**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में उधार-राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		3391,79,00		5798,75,00
	(ii) अन्य बैंक		3686,76,87		3579,39,47
	(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		10547,50,98		18761,45,07
	(iv) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3849,72,60		3890,00,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	53873,63,80	57723,36,40	47929,81,20	51819,81,20
योग			**75349,43,25**		**79959,40,74**
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
	(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		178661,48,05		160735,38,97
	(II) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	4140,93,75		3906,25,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	62,54,00	4203,47,75	62,42,00	3968,67,00
योग			**182864,95,80**		**164704,05,97**
कुल योग (I व II)			**258214,39,05**		**244663,46,71**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ			**13591,47,33**		**13595,79,97**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	23335,72,69	24904,60,85
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	237,92,52	321,30,21
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	37419,45,02	39770,62,75
IV.	प्रोद्भूत ब्याज	29833,04,28	25563,20,50
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2930,88,61	2667,22,18
VI.	बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	78668,25,79	70098,11,58
VII.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	99540,62,73	72276,02,77
योग		**271965,91,64**	**235601,10,84**

अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	17787,02,59	17753,63,55
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ		
(i) चालू खाते में	142637,54,32	126533,91,12
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**160424,56,91**	**144287,54,67**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	288,01,40	247,81,87
(ख) अन्य जमा खातों में	2170,64,23	2244,22,90
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	3722,29,44	3799,23,66
(ख) अन्य संस्थाओं में	37,97,35	-
योग	**6218,92,42**	**6291,28,43**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	26911,87,69	22355,46,00
(ii) अन्य जमा खातों में	1571,46,56	2631,23,59
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	9032,62,97	12915,52,11
योग	**37515,97,22**	**37902,21,70**
कुल योग (I एवं II)	**43734,89,64**	**44193,50,13**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में निवेश :**		
	(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ	532290,24,22	517554,20,64
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3759,80,59	3516,13,23
	(iii) शेयर	23506,08,44	27460,41,25
	(iv) डिबेंचर और बांड	61387,92,23	49626,98,14
	(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	2456,08,15	2283,02,14
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)	41525,68,15	41954,66,96
योग		**664925,81,78**	**642395,42,36**
II	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	12291,86,27	7937,53,43
	(ii) सहयोगी	91,26,16	76,18,20
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	27880,13,46	23098,34,45
योग		**40263,25,89**	**31112,06,08**
	कुल योग (I एवं II)	**705189,07,67**	**673507,48,44**
III.	**भारत में निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	666116,72,04	642857,88,24
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	1190,90,26	462,45,88
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार) **योग**	**664925,81,78**	**642395,42,36**
IV.	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	40360,83,74	31448,21,49
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	97,57,85	336,15,41
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार) **योग**	40263,25,89	**31112,06,08**
कुल योग (III एवं IV)		**705189,07,67**	**673507,48,44**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	105904,33,41	108753,54,27
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	768139,02,40	715170,45,86
III. सावधि ऋण	996217,53,47	868287,33,28
योग	**1870260,89,28**	**1692211,33,41**
ख) I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1449464,11,29	1338415,24,90
II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	65407,28,51	54987,35,00
III. अप्रतिभूत	355389,49,48	298808,73,51
योग	**1870260,89,28**	**1692211,33,41**
ग) I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	475038,00,97	425714,33,30
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	163126,02,25	121196,09,53
(iii) बैंक	2541,75,87	1263,17,82
(iv) अन्य	952633,31,09	899895,18,92
योग	**1593339,10,18**	**1448068,79,57**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	71750,72,87	49750,01,71
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	15298,95,44	28523,86,79
(ख) सिंडीकेट ऋण	92239,49,49	76503,24,02
(ग) अन्य	97632,61,30	89365,41,32
योग	**276921,79,10**	**244142,53,84**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]	**1870260,89,28**	**1692211,33,41**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	4672,16,65		4323,51,56	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1835,36,27		355,12,36	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	2,39,36		6,47,27	
अद्यतन मूल्यह्रास	672,31,88	5832,81,68	572,01,06	4100,15,59
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	23192,34,20		20473,94,21	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3056,76,25		3704,27,88	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	502,26,24		985,87,89	
अद्यतन मूल्यह्रास	17125,95,43	8620,88,78	15332,16,54	7860,17,66
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	329,83,42		343,55,90	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,09,22		11,72,44	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	209,40,98		25,44,92	
आज तक का मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	101,52,99		306,48,56	
	20,98,67		23,47,86	
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	47,045	16,28,22	47,045	18,64,41
IV निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		785,69,60		400,31,86
योग (I, II, III एवं IV)		**15255,68,28**		**12379,29,52**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(I) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2700,12,71	2625,04,07
(II) प्रोद्भूत ब्याज	21428,47,87	20948,92,59
(III) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	15697,31,41	11790,89,06
(IV) लेखन सामग्री और स्टांप	140,48,46	137,51,42
(V) दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	52,20,86	24,17,35
(VI) आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	1161,66,36	949,49,97
(VII) प्राथमिकता प्राप्त् क्षेत्र में ऋणान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/ एनएचबी आदि के पास रखी हुई जमाराशियाँ #	60047,16,38	42289,78,98
(VIII) अन्य #	74805,08,36	54765,02,85
योग	**176032,52,41**	**133530,86,29**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 945,21,86 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 945,21,86 हजार) शामिल है।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	16060,79,90	16967,68,59
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	157,84,11	464,57,92
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	655899,96,45	695217,28,45
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	164515,57,51	151058,82,39
(ख) भारत के बाहर	88084,20,47	67589,77,46
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	131160,23,60	125913,03,37
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	128322,72,20	133127,50,91
योग	**1184201,34,24**	**1190338,69,09**
संग्रहण के लिए बिल	106611,67,61	105970,51,47

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	221854,84,37	207974,33,97
अन्य आय	14	51016,18,48	49315,16,86
योग		**272871,02,85**	**257289,50,83**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	143047,35,65	133178,64,45
परिचालन व्यय	16	73717,06,84	73848,01,22
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		43363,31,29	32745,48,66
योग		**260127,73,78**	**239772,14,33**
III. लाभ			
वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		12743,29,07	17517,36,50
जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		275,81,61	314,44,18
घटाएं : अल्पांश हित		794,51,18	837,50,76
समूह के लिए निवल लाभ		12224,59,50	16994,29,92
आगे लाया गया शेष		2615,87,62	2032,37,15
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**14840,47,12**	**19026,67,07**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		3709,43,37	4904,63,53
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		5388,68,06	8301,62,00
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		80	-
वर्ष के लिए अंतिम लाभांश		2018,32,20	2648,17,28
लाभांश पर कर		444,19,40	556,36,64
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		3279,83,29	2615,87,62
योग		**14840,47,12**	**19026,67,07**
प्रति शेयर मूल आय		₹ 15.95	₹ 22.76
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 15.95	₹ 22.76
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(चेरीयन के. बेबी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 16043
फर्म पंजी सं. : 0045325S

(पी. के. गुप्ता)
एम.डी. (सी एण्ड आर)

(वी. जी. कन्नन)
एम.डी. (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एम.डी. (सी बी जी)

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	157001,74,81	153144,59,00
II. निवेशों पर आय	57922,72,37	48952,27,42
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1186,80,31	1033,54,96
IV. अन्य	5743,56,88	4843,92,59
योग	**221854,84,37**	**207974,33,97**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	17662,46,76	15841,75,18
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	8116,67,73	9671,95,41
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	(3144,68,18)	1786,05,64
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(21,05,23)	(51,28,58)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2539,37,79	2385,78,18
VI. भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	7,52,34	17,38,47
VII. वित्तीय पट्टे से आय	-	5,05
VIII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	981,08,93	750,80,67
IX. बीमा प्रीमियम आय (निवल)	16636,87,72	13628,73,49
X. विविध आय	8237,90,62	5283,93,35
योग	**51016,18,48**	**49315,16,86**

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	132402,04,61	121588,38,03
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	4893,83,34	5218,58,00
III. अन्य	5751,47,70	6371,68,42
योग	**143047,35,65**	**133178,64,45**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	32525,59,82	31117,61,37
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	4939,78,70	4506,67,55
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	511,61,80	510,09,33
IV. विज्ञापन और प्रचार	609,67,64	796,87,12
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	4,05,74	5,18,40
(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	2248,14,79	1576,30,98
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	7,71,33	5,59,20
VII. लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	285,40,65	262,91,23
VIII. विधि प्रभार	362,14,06	322,29,26
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	812,91,81	854,98,57
X. मरम्मत और अनुरक्षण	797,06,39	730,45,95
XI. बीमा	2228,56,82	2080,02,62
XII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित	1163,24,81	551,21,23
XIII. अन्य परिचालन व्यय बीमा व्यवसाय से संबंधित	17930,19,27	21972,48,10
XIV. अन्य व्यय	9290,93,21	7931,53,31
योग	**73717,06,84**	**73224,24,22**

अनुसूची 17- महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं । इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामले में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार:

1. समूह **(जिसमें 30 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगी शामिल हैं)** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा परीक्षित खाते।

   ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंत: समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर-वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमश: अक्षरश: समेकन किया गया है।

   ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

   घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

   ङ) ''कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना'' से संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में कंपनियों में प्राप्त किए गए नियंत्रण हित पर न तो समेकन के लिए विचार किया गया है और न ही ऐसे निवेश को अनुषंगी/सहयोगी में निवेश के रूप में समझा गया है कारण कि यह नियंत्रण कार्यक्षम प्रकृति का है, भागीदारी का नहीं है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

   क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 इससे अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं ।

1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय ट्रेडिंग के रूप में नामित जिसे नकदी आधार पर लेखे में लिया गया है।।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद) "पूंजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा-मानक 19 -पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक रखे गए" श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) का अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :

i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री/शोधन के समय निर्धारण किया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्घ होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेज फीस का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है; और (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस जिसे पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभावित किया गया है, इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 बांड जारी करने/जमाराशियों के संबंध में भुगतान/वहन की गई दलाली, कमीशन आदि को संबंधित बांडों/जमाराशियों की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और निर्गम के संबंध में उठाए गए खर्च को प्रारंभ में ही प्रभारित कर दिया गया।

1.10 एनपीए की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार हिसाब में ली गई है:

i बैंक जब भी अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) को बिक्री करता है, तो उन्हें बहियों से हटा दिया जाता है।

ii यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीची) (अर्थात प्रावधान राशि घटाने के बाद बही मूल्य) से कम मूल्य पर की जाती है, तो मूल्य में आई कमी की राशि को बिक्री वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में बिक्री वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामें कर दिया जाता है।

iii यदि यह बिक्री एनबीवी से अधिक मूल्य पर हो, तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को प्राप्ति वर्ष में रिवर्स कर दिया जाता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैकं द्वारा अनुमत किया गया है।

1.11 **गैर-बैंकिंग इकाइयाँ**

मर्चेंट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।

ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन:

क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवा और संविभाग प्रबंधन सेवा से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटित योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

घ. योजना व्यय: निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल फंड विनियमन, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।

ङ असीमित अवधि वाली ईक्विटी संबद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) से संबंधित निवेशों पर प्रदत्त दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लो बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलन-पत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलन-पत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलन-पत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक के गतावधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. सभी अन्य आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएक) की गणना की गई है और अगले सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एफसीएफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा:

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के

आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुन:प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय; जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल है; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए हैं।

घ. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ङ. दिए गए लाभ:

- जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने का प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

च. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के आधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

छ. **बीमा पालिसियों के लिए देयता** : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना - बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों और परिपत्रों के अनुसार तथा इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार - नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम

अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर/आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब में लिया गया हैं। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।

ङ अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर दिखाया गया है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु :

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या

- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है) (आईबीएनईआर) से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आईएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहाँ कहीं लागू हो को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

कारपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कारपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्भूत किए गए हैं।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 'सेटलमेंट डेट' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश "क्रय-विक्रय तिथि" को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को 3 श्रेणियों यथा - "परिपक्वता तक रखे गए", "विक्रय के लिए उपलब्ध" और "व्यवसाय के लिए रखे गए" में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन निवेशों को 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

ii. उन निवेशों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. प्रत्येक निवेश को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्य-निर्धारण :

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेशों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है ।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम आधार पर किया गया है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। तथापि, एचटीएम श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और परिणामी मूल्यह्रास यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है।

iii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य-निर्धारण **रखाव-लागत** आधार पर किया गया है ।

iv. **परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी** : परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अधिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ**: एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या **विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित** उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूतियों, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, (iii) शेयर, (iv) बांड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम; और (vi) अन्य) के लिए केवल निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे

में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।

vi. यदि आस्ति प्रतिभूतिकरण कंपनी (एआरसी) को प्रतिभूति रसीदों के निर्गम के आधार पर एनपीए (वित्तीय) आस्तियाँ) की बिक्री की जाती है, तो प्रतिभूति रसीदों के निवेश का निर्धारण वित्तीय आस्ति के निवल में बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) और प्रतिभूति रसीदों के मोचन मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है, और एससी/एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में एससी/एआरसी द्वारा प्रतिभूति रसीदें संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित की गई वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली राशि तक ही जारी की गई हो, उन मामलों में ऐसे लिखतों के मूल्यांकन हेतु निवल आस्ति मूल्य, एससी/एआरसी से प्राप्त को ध्यान में रखा गया है।

vii. देशीय कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों इकाइयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेशों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय इकाइयों कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।

ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को ₹1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा ।

ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के निवेश माना जाता है, उन पर अनर्जक निवेश के वही मानदंड लगेंगे जो निदेशों पर लागू होते हैं ।

च. विदेशी कार्यालयों के अनर्जक निवेश के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है ।

viii. रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को छोड़कर)

(क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य के ऐसे घट-बढ़ को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधारियाँ) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है । उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है ।

ख. बीमा व्यवसाय

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में निवेश बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (‘एनएसई’) या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (‘बीएसई’) पर बाजार बंद होने के समय उद्घृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का आंकन परंपरागत लागत पर किया गया है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलन पत्र की तारीख को मूल्यांकन किया गया है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार पर किया गया है।
- शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ‘‘आय और अन्य आरक्षितियाँ (अनुसूची 2)’’ में और ‘‘बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ (अनुसूची 5)’’ क्रमश: तुलन पत्र में लिए जाते हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘क्रिसिल’) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘एनएसई’) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध न किए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य पर किया जाता है।

- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ईक्विटी शेयरों की मूल्यन नीति के अनुसार किया जाता है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- असूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का आंकन परंपरागत लागत आधार पर किया गया है।
- ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है । ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ''असंयत'' (''आउट ऑफ आर्डर'') रहता है, अर्थात यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं; और (ख) कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है ।

ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है ।

iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है ।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:

अव-मानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया राशि पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों में अप्रतिभूत राशि जिसमें कतिपय रक्षोपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ :		
- प्रतिभूत भाग :	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग :		100%
हानिप्रद आस्तियाँ :		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के ऋण और अग्रिम खातों का वर्गीकरण तथा अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक कठोर था, के अनुसार किए गए हैं।

3.5 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।

3.6 पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संरचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रिमों में से घटाया गया है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है ।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली गई राशि को आय के रूप में दिखाया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति लागू है। सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की राशि का प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र के/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई विनिमय संविदाओं की रूपरेखा इस ढंग से तैयार की जाती है कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें। ऐसे डेरीवेटिव्स लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है और इसे प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।

6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।

6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों

को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए ''उचंत परिणत प्राप्य राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है। यदि डेरीवेटिव संविदाओं में भविष्य में और अधिक निपटारे का प्रावधान है और यदि डेरीवेटिव संविदा अतिदेय प्राप्य राशि का 90 दिन तक भुगतान प्राप्त न होने पर समाप्त नहीं की जाती है तो भविष्य में प्राप्त राशियों की बाजार मूल्य पर बहियों में अंकित घनात्मक राशि को लाभ और हानि खाते से ''उचंत बाजार मूल्य घनात्मक राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फॉरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के बाजार मूल्य निकालने हेतु शामिल किया गया है।

6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरीवेटिव्ज तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. **अचल आस्तियां मूल्यह्रास और परिशोधन**

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और व्यावसायिक शुल्क तथा आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 एसबीआई के मामले में इस देशीय परिचालन के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है:

1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है:
			परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष जमा सुरक्षा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों के लिए प्राप्त की गई आस्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान आस्ति को काम में लिए गए दिनों के लिए यथानुपातिक आधार पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1,000 से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो, तो को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेशी कार्यालयों/इकाइयों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो लेखे में दर्शाई जानेवाली अपसामान्यता का माप उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है ।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है ।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है ।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है ।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताओं के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में दिखाया गया है।

viii. खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को एक्सचेंज क्लिअरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय का फेडई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।

iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है ।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता हैं। इस अंशदान को इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जात है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रबंध किया जाता है।

ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।

ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है । यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो ₹10 लाख की अधिकतम राशि के अध्यधीन होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक

भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।

ङ नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएं

बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आने वाले ऐसे नए अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस योजना के अनुसार संबंधित कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में अंशदान करता है और साथ में उतनी ही राशि बैंक द्वारा अंशदान की जाती है। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन अशदानों की राशि को बैंक में जमाराशियों के रूप में रखा जाता है और भविष्य निधि शेष के चालू खाते में लागू होने वाली दर से इस राशि पर ब्याज अर्जित होता है। बैंक इन अंशदानों और इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर, समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है । इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं तें हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर कि क्या उनकी वसूली हाने की संभावना है/होना निश्चित है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर भुगतान मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू नियमों के अनुसार दिखाई गई कर भुगतान की कुल राशियां है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का समावेश करता है, यह संभव है कि दायित्व की चुकौती में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त विरली परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉईंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. बुलियन लेनदेन

बैंक अपने ग्राहकों को ब्रिकी करने के लिए बुलियन आयात परेषण आधार पर करता है जिसमें बहुमूल्य धातु बार की शामिल है। आयात पूर्णतया बैक टू बैक आधार पर किए जाते हैं और आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत इस मूल्य के आधार पर ग्राहकों के लिए इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। बैंक इस थोक बुलियन लेनदेन पर फीस अर्जित करता है। इस फीस को कमीशन आय की श्रेणी में रखा गया है। बैंक सोना जमा भी रखता है और उधार भी देता है। इन्हें यथास्थिति जमाराशियाँ अग्रिम माना जाता है और दिए गए/प्राप्त ब्याज को दिए गए ब्याज/आय की श्रेणी में रखा जाता है।

16. विशेष रिज़र्व:

आय और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) अंतर्गत सृजित विशेष सम्मिलित हैं। निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित करके रिज़र्व सृजन हेतु अनुमोदन किया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि विशेष रिज़र्व हटाने की उनकी कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने के व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची 18
लेखा-टिप्पणियाँ:

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समय निम्नांकित 30 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 20 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय जिसमें 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष के दौरान उनके विलय/बहिर्गमन की संबंधित तारीख सेतक सम्मिलित है। :

क) अनुषंगियां

			समूह का हिस्सा (%)	
क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	90.00	90.00
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	79.09	78.91
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.58	71.58
11)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
12)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
13)	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लिमिटेड	भारत	92.60	92.60
14)	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00	65.00
15)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00	74.00
16)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
18)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
19)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.60	96.60
20)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
21)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	100.00	100.00
22)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेस लिमिटाडा	ब्राजील	100.00	-
23)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
24)	एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	60.00	60.00
25)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
26)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	भारत	74.00	74.00
27)	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को @	रूस	60.00	60.00
28)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.10	55.10
29)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि. @	मॉरीशस	63.00	63.00
30)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00

@ ऐसी कंपनियाँ जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

ख) संयुक्त उद्यम

समूह का हिस्सा (%)

क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुडा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00

ग) सहयोगी

समूह का हिस्सा (%)

क्र सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
16)	तेलंगाना ग्रामीणा बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	कावेरी ग्रामीणा बैंक	भारत	31.50	31.50
18)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	24.42	29.22
20)	बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

क. अप्रैल 2015 के माह में, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जो भारतीय स्टेट बैंक की एक देशीय बैंकिंग अनुषंगी है, ने राइट इश्यू के तहत ₹10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य के और ₹390/- प्रति शेयर प्रीमियम के हिसाब से ₹379.26 करोड़ की राशि के भारतीय स्टेट बैंक को 94,81,518 इक्विटी शेयर आबंटित किए और एसबीआई का हित बढ़कर 78.91% से 79.09% हो गया।

ख. मार्च 2016 के माह में, भारतीय स्टेट बैंक ने दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसबीआई की एक सहयोगी संस्था) में अपने 4.80% हित को बेच दिया जिसके बाद एसबीआई का हित घटकर 26.00% से 21.20% हो गया और समूह का हित घटकर 29.22% से 24.42% हो गया।

ग. "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड" जो एसबीआई की एक विदेशी बैंकिंग अनुषंगी है, का नाम दिनांक 1 जुलाई 2015 से बदलकर "बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड" कर दिया गया है।

घ. "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाड़ा)" जो एसबीआई की एक विदेशी बैंकिंग अनुषंगी है, का नाम दिनांक 1 मार्च 2016 से बदलकर ''एसबीआई कनाड़ा बैंक'' कर दिया गया है।

ङ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेस लिमिटाडा, जो एसबीआई की एक विदेशी बैंकिंग अनुषंगी है, ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अपने परिचालन शुरू कर दिए। इस प्रकार इसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

च. एसबीआई फाउंडेशन, (एक अलाभकारी कंपनी) ने 26 जून 2015 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के अंतर्गत एसबीआई की एक अनुषंगी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे कि समूह के सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान दिया जा सके। चूंकि यह एक अलाभकारी कंपनी है, इसलिए समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समेकन हेतु एसबीआई फाउंडेशन पर विचार नहीं किया गया है। अगस्त 2015 के माह में, एसबीआई ने ₹10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 10,00,000 शेयरों के आधार पर 1 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है।

छ. एसबीआई होम फाइनैंस लि. जो एक सहयोगी संस्था है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का हित 25.05% है, परिसमापन के अधीन है, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों में इस पर विचार नहीं किया गया है।

1.2 समूह के वित्त वर्ष 2015-16 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाड़ा बैंक) और 8 सहयोगियों (बैंक ऑफ भूटान लि. और 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

2. शेयर पूंजी :

2.1 वर्ष के दौरान, एसबीआई ने भारत सरकार से ₹5393.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,970 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त की है जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹5373.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2959.95 करोड़) शामिल हैं जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹1/- के 19,65,59,390 (पिछले वर्ष 10,04,77,012) इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आबंटन 29 सितंबर 2015 को किया गया।

2.2 एसबीआई ने 31 मार्च 2015 को भारत सरकार से ₹2,970 करोड़, जिसमें ₹2,959.95 करोड़ की प्रीमियम राशि शामिल है, की आवेदन राशि प्राप्त की है। यह राशि भारत सरकार को आबंटित किए गए ₹1 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 10,04,77,012 इक्विटी शेयरों के अधिमानी इश्यू के लिए प्राप्त हुई थी। इक्विटी शेयरों का आबंटन 1 अप्रैल 2015 को किया गया।

2.3 राइट इश्यू-2008 के भाग के रूप में दिनांक 16.07.2015 को प्रति ₹1/- के ऐसे 9,720 इक्विटी शेयर, जिनका आबंटन प्रास्थगित कर दिया गया था, जारी किए गए और ₹9,720 की राशि शेयर पूंजी खाते में और ₹15,35,760.00 की राशि शेयर प्रीमियम खाते में जमा की गई। प्रति ₹1 के शेष 8,21,030 (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 8,30,750 इक्विटी शेयर), जारी करने के बाद भी रोककर रखे गए हैं क्योंकि उनका हक विवादित या निर्णयाधीन है।

2.4 शेयर जारी करने से संबंधित खर्चः ₹8.66 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक) शेयर प्रीमियम खाते में नामे किए गए।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 कर्मचारी - हितलाभ

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

3.1.1.1 कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	**64,529.56**	**56,863.05**	**9,543.10**	**9,176.98**
वर्तमान सेवा लागत	1,360.54	1,561.91	256.26	219.45
ब्याज लागत	5,276.63	5,070.61	778.43	833.14
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)	निरंक	निरंक	0.03	(0.02)
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	6,909.53	5,083.47	652.16	529.94
प्रदत्त हितलाभ	(2,665.72)	(2,146.26)	(1,331.74)	(1,216.39)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,246.16)	(1,903.22)	निरंक	निरंक
31 मार्च 2016 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**73,164.38**	**64,529.56**	**9,898.24**	**9,543.10**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2015 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**61,886.14**	**53,143.82**	**9,362.94**	**9,206.33**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,341.46	4,719.23	798.31	794.11
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	2,322.17	3,731.53	383.63	471.60
प्रदत्त हितलाभ	(2,665.72)	(2,146.26)	(1,331.74)	(1,216.39)
योजना आस्ति बीमांकिक लाभ/(हानियाँ)	(70.08)	2,437.82	36.58	107.29
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**66,813.97**	**61,886.14**	**9,249.72**	**9,362.94**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2016 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	73,164.38	64,529.56	9,898.24	9,543.10
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	66,813.97	61,886.14	9,249.72	9,362.94
कमी/(अधिशेष)	6,350.41	2,643.42	648.52	180.16
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
निवल देयता/(आस्ति)	**6,350.41**	**2,643.42**	**648.52**	**180.16**
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	73,164.38	64,529.56	9,898.24	9,543.10
आस्तियाँ	66,813.97	61,886.14	9,249.72	9,362.94
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	6,350.41	2,643.42	648.52	180.16
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
निवल देयता/(आस्ति)	**6,350.41**	**2,643.42**	**648.52**	**180.16**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,360.54	1,561.91	256.26	219.45
ब्याज लागत	5,276.63	5,070.61	778.43	833.14
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,341.46)	(4,719.23)	(798.31)	(794.11)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	निरंक	187.10	0.03	51.57
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान शामिल की गई निवल बीमांकिक हानियां / (लाभ)	6,979.61	2,645.65	615.58	422.65
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**8,275.32**	**4,746.04**	**851.99**	**732.70**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,341.46	4,719.23	798.31	794.11
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(70.08)	2,437.82	36.58	107.29
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**5,271.38**	**7,157.05**	**834.89**	**901.40**
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	**2,643.42**	**3,532.13**	**180.16**	**(80.94)**
विलय और अधिग्रहण पर निवल देयता	8,275.32	4,746.04	851.99	732.70
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(2,246.16)	(1,903.22)	निरंक	निरंक
नियोक्त का अंशदान	(2,322.17)	(3,731.53)	(383.63)	(471.60)
पिछली सेवा लागत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**6,350.41**	**2,643.42**	**648.52**	**180.16**

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.19%	22.45%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.30%	14.65%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	39.79%	29.49%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	1.21%	28.86%
अन्य	5.51%	4.55%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.00% to 8.10%	8.21% to 8.21%	7.86% to 8.10%	8.21% to 8.21%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.00% to 9.00%	8.21% to 9.00%	7.86% to 9.00%	8.00% to 9.00%
वेतन वृद्धि	5.00% to 5.00%	5.00% to 5.00%	5.00% to 5.00%	5.00% to 5.00%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि न्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार "शून्य" देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2015-16 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीकांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैं:-

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	22,498.51	21,804.39
वर्तमान सेवा लागत	1,632.22	527.14
ब्याज लागत	2,026.72	1,869.09
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,983.67	661.66
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	0.01	-
प्रदत्त हितलाभ	(2,981.43)	(2,363.77)
31 मार्च 2016 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	25,159.70	22,498.51
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2015 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	23,197.82	22,366.42
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,026.72	1,869.09
अंशदान	3,615.89	1,188.80
प्रदत्त हितलाभ	(2,981.43)	(2,363.77)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ /(हानियाँ)	126.32	137.28
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	25,985.32	23,197.82
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2016 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,159.70	22,498.51
31 मार्च 2016 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	25,985.32	23,197.82
कमी/(अधिशेष)	(825.62)	(699.31)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्ति	825.62	699.31
लाभ एवं हानि खाते में नहीं ली गई निवल आस्ति		
वर्तमान सेवा लागत	1,632.22	527.14
ब्याज लागत	2,026.72	1,869.09
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,026.72)	(1,869.09)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत को अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	1,632.22	527.14
तुलनपत्र में ली गई प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्त अनुसार व्यय	1,632.22	527.14
नियोक्ता का अंशदान	(1,632.22)	(527.14)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.36%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	20.55%
सार्वजनिक और निज़ी क्षेत्र बांड	34.15%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	-
अन्य	4.94%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.86%	8.21%
निश्चित प्रतिलाभ	8.75%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि की देयता पर गारंटीकृत प्रतिफल लागू होता है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत यथा घोषित ब्याज की दर से इस निधि में ब्याज जमा किया जाता रहा है और इसलिए इसे एक नियत हितलाभ योजना के रूप में समझा गया है।

3.1.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 36.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33.30 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

3.1.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखाकार अभिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹ 266.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 200.10 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ (अनिधिक दायित्व)

3.1.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार एसबीआई की संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थिति दर्शायी गई है:

₹ करोड़ में

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
हित लाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	3,756.50	3,079.47
चालू सेवा लागत	230.94	135.55
ब्याज लागत	308.41	287.62
बीमांकिक हानियां (लाभ)	590.64	681.86
प्रदत्त लाभ	(511.00)	(428.00)
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित निवल लागत	4,375.49	3,756.50
लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित निवल लागत		
चालू सेवा लागत	230.94	135.55
ब्याज लागत	308.41	287.62
बीमांकिक हानियां (लाभ)	590.64	681.86
हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 -''कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान'' में शामिल	1,129.99	1,105.03
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	3,756.50	3,079.47
यथा उपर्युक्त व्यय	1,129.99	1,105.03
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(511.00)	(428.00)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल देयता / (आस्ति)	4,375.49	3,756.50

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.86%	8.21%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (एसबीआई को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश (नकदीकरण) के संबंध में समूह (एसबीआई को छोड़कर) द्वारा ₹167.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹124.26 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

3.1.3.2 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में समूह द्वारा ₹21.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.55 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा :

₹ करोड़ में

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	25.85	(21.66)
2	रुग्ण अवकाश	(1.43)	6.46
3	रजत जयंती अवार्ड	3.11	11.15
4	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	2.74	13.23
5	रुग्ण अवकाश	निरंक	निरंक
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(8.92)	3.37
योग		**21.35**	**12.55**

3.1.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) राजकोष: राजकोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग: कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) बीमा व्यवसाय: बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) **गौण (भौगोलिक खंड):**

क) **देशीय परिचालन के अंतर्गत** - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) **विदेशी परिचालन के अंतर्गत** - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) **अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आस्ति-सृजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) **आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन**

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कॉरपोरेट/थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें "अनाबंटित व्यय" के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

3.2.2 खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

₹ करोड़ में

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
आय	61,296.54 (51,426.82)	86,837.57 (85,230.94)	97,196.40 (90,781.04)	20,870.02 (24,476.88)	4,869.88 (4,144.11)		2,71,070.41 (2,56,059.79)
अनाबंटित आय							1,800.62 (1,229.72)
कुल आय							2,72,871.03 (2,57,289.51)
परिणाम	9,071.69 (6,890.86)	-11,271.53 (1,945.87)	20,936.37 (18,355.51)	932.55 (843.39)	1,375.21 (1,361.91)		21,044.29 (29,397.54)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (–) निवल							-2,867.51 (-3,542.97)
परिचालन लाभ (पीबीटी)							18,176.78 (25,854.57)
कर							5,433.50 (8,337.20)
असाधारण लाभ/हानि							- (-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व							12,743.28 (17,517.37)

₹ करोड़ में

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी							275.82 (314.44)
घटाएँ : अल्पांश हित							794.51 (837.51)
निवल लाभ समूह के लिए							12,224.59 (16,994.30)
अन्य सूचना :							
खंड आस्तियाँ	6,51,194.08 (6,21,415.72)	11,31,334.93 (10,35,530.32)	10,54,672.01 (9,31,543.92)	87,073.44 (76,948.47)	17,298.70 (13,468.53)		29,41,573.16 (26,78,906.96)
अनाबंटित आस्तियाँ							29,324.48 (21,203.06)
कुल आस्तियाँ							29,70,897.64 (27,00,110.02)
खंड देयताएँ	3,59,351.71 (3,66,954.63)	10,74,172.76 (9,58,490.64)	11,82,374.63 (10,59,909.52)	81,602.86 (72,072.91)	12,473.12 (9,110.23)		27,09,975.08 (24,66,537.93)
अनाबंटित देयताएँ							80,330.19 (72,184.55)
कुल देयताएँ							27,90,305.27 (25,38,722.48)

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड

₹ करोड़ में

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	योग
आय	2,59,965.33 (2,46,689.00)	12,905.70 (10,600.51)	2,72,871.03 (2,57,289.51)
निवल लाभ	8,172.53 (12,806.58)	4,052.06 (4,187.72)	12,224.59 (16,994.30)
आस्तियाँ	26,19,303.39 (23,78,661.71)	3,51,594.25 (3,21,448.31)	29,70,897.64 (27,00,110.02)
देयताएँ	24,42,680.61 (22,20,650.02)	3,47,624.66 (3,18,072.46)	27,90,305.27 (25,38,722.48)

(i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों /देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2016 का है।

(ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

3.3.1 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

क) संयुक्त उद्यम:

1. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
3. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. कावेरी ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मालवा ग्रामीण बैंक
8. कृष्णा ग्रामीणा बैंक
9. मेघालय रूरल बैंक
10. मिजोरम रूरल बैंक
11. नागालैंड रूरल बैंक
12. पूर्वांचल बैंक
13. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
14. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
16. उत्कल ग्रामीण बैंक
17. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
18. वनांचल ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

19. दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
20. बैंक आफ भूटान लि.
21. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (31.10.2015 तक)
3. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगी)
4. श्री बी. श्रीराम
   - प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) (01.11.2015 तक)
   - प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह) (02.11.2015 से)
5. श्री रजनीश कुमार
   - प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) (26.05.2015 से 01.11.2015 तक)
   - प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) (02.11.2015 से)
6. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) (02.11.2015 से)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.3.3 लेनदेन और शेष राशियाँ:

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2015-16 के दौरान लेनदेन	- (-)	- (-)	- (-)
प्राप्त ब्याज	1.86 (2.78)	- (-)	1.86 (2.78)
प्रदत्त ब्याज	27.32 (33.82)	- (-)	27.32 (33.82)
लाभांश के रूप में अर्जित आय	3.46 (-)	- (-)	3.46 (-)
अन्य आय	5.70 (9.01)	- (-)	5.70 (9.01)
अन्य व्यय	399.08 (308.94)	1.58 (1.03)	400.66 (309.97)
प्रबंधन संविदा			
31 मार्च 2016 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा	39.26 (36.06)	- (-)	39.26 (36.06)
अन्य देयताएं	42.23 (29.45)	- (-)	42.23 (29.45)
प्राप्य राशियाँ			
बैंको में शेष	- (2.12)	- (-)	- (2.12)
निवेश	41.55 (41.55)	- (-)	41.55 (41.55)
अग्रिम	0.33 (0.24)	- (-)	0.33 (0.24)
अन्य आस्तियां	0.13 (0.34)	- (-)	0.13 (0.34)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशियाँ			
उधार राशियाँ	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	52.32 (57.32)	- (-)	52.32 (57.32)
अन्य देयताएँ	74.90 (87.46)	- (-)	74.90 (87.46)
बैंकों में शेष	2.12 (5.94)	- (-)	2.12 (5.94)
अग्रिम	0.37 (0.52)	- (-)	0.37 (0.52)
निवेश	41.55 (41.55)	- (-)	41.55 (41.55)
अन्य आस्तियाँ	0.13 (0.34)	- (-)	0.13 (0.34)
गैर-निधि वचनबद्धताएं	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं।

3.4 पट्टे:

3.4.1 वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	4.79	5.12
1 से 5 वर्ष तक	3.29	5.43
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**8.08**	**10.55**
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	0.63	0.89
1 से 5 वर्ष तक	0.39	0.51
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**1.02**	**1.40**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	4.16	4.23
1 से 5 वर्ष तक	2.90	4.92
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**7.06**	**9.15**

3.4.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

रद्द नहीं होने वाले परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	335.87	262.05
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	1,285.14	836.60
5 वर्ष से अधिक	341.41	222.21
कुल	**1,962.42**	**1,320.86**
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि		

इस वर्ष लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹ 2,181.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,744.10 करोड़) है।

3.5 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरंभ में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	746,57,30,920
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की संख्या	29,70,46,122	-
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	776,27,77,042	746,57,30,920
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	766,55,68,627	746,57,30,920
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	766,55,68,627	746,60,06,199
समूह के लिए निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	12,224.59	16,994.30
मूल आय प्रति शेयर (₹)	15.95	22.76
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	15.95	22.76*
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1.00	1.00

* प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के समय अप्रैल 1, 2016 को आबंटित ईक्विटी शेयरों के लिए प्राप्त राशि को ध्यान में रखा गया हैं।

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर के कारण ₹83.18 करोड़ लाभ और हानि खाते में नामे किए गए थे (पिछले वर्ष ₹1,049.64 करोड़ जमा किए गए थे)।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	1.26	954.34
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान #	2,092.14	2,235.65
आरबीआई के विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट पुनर्संरचित मानक आस्तियों/मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान/ अतिरिक्त प्रावधान	2,136.25	1,745.05
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	5.18	(0.23)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,214.43	195.67
अन्य	1,434.89	690.95
योग	**6,884.15**	**5,821.43**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	236.11	210.79
प्रतिभूतियों पर ब्याज	3,863.93	3,660.78
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,043.24	3,196.64
अन्य	510.09	470.94
योग	**8,653.37**	**7,539.15**
निवल आस्थगित कर आस्तियां (देयताएं)	**(1,769.22)**	**(1,717.72)**

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

➢ **लाभ एवं हानि खाते में लिए गए प्रावधान और आकस्मिक देयताएं**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान के लिए प्रावधान		
	- वर्तमान कर	5,350.36	9,375.30
	- आस्थगित कर	83.18	(1,049.64)
	- अन्य कर	(0.04)	11.54
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	38,024.06	20,634.68
ग)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(2,912.87)	1,563.63
घ)	मानक आस्तियों पर प्रावधान	2,284.22	2,918.48
ङ)	विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	320.96	(663.07)
च)	अन्य प्रावधान	213.45	578.34
योग		**43,363.32**	**33,369.26**

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

➢ **आस्थिर प्रावधान :**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	अथशेष	222.05	362.37
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	28.29	140.32
घ)	**अंतिम शेष**	**193.76**	**222.05**

आकस्मिक देयताओं आस्ति मानक 29 का ब्योरा :

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा। यह समूह बकाया अपीलों के संबंध में विभिन्न कर मामलों के लिए पक्षकार हैं।
2	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों/वेंचर फंड से संबंधित देयता	इस मद में आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों की देयता के संबंध में प्रदत्त नहीं की गई राशि प्रस्तुत की गई है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड के लिए आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धताओं की राशि शामिल है।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से, प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।

5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने निजी खाते से और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से करेंसी ऑप्शन, वायदा दर करार, करेंसी स्वैप्स और ब्याज दर स्वैप्स करता है। करेंसी स्वैप्स की प्रतिबद्धताएं पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के सामने दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियां जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया जाता है, ऐसी विशिष्ट राशियां होती हैं जिनका संविदाओं के ब्याज घटक के आकलन हेतु बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें पूंजी खाते के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि में भी शामिल किया जाता है और इन्हें सहयोगी एवं अनुषंगी की ओर से एसबीआई द्वारा जारी व्यवस्था पत्र, जमाकर्ता शिक्षा योजना के अंतर्गत एसबीआई की देयता और जागरूकता निधि के अंतर्गत एसबीआई की देयताओं और अन्य विविध आकस्मिक देयताओं के प्रावधान की गई राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय/न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

➢ **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	**पिछला वर्ष**	1,077.91	790.46
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	240.83	378.00
ग)	वर्ष के दौरान आहरण में कमी	286.02	26.88
घ)	वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित अनुपयोजित राशि	314.51	63.67
ड)	**अंतिम शेष**	**718.21**	**1,077.91**

4. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास

वर्तमान वर्ष के दौरान कुछ आस्तियों जैसे एटीएम, कैश डिस्पेंसिंग मशीन, सिक्का डिस्पेंसिंग मशीन, कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग उपकरण की अनुमानित उपयोग अवधि में परिवर्तन किया गया है। वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव नगण्य माना गया है।

6. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को की गई आस्तियों की बिक्री के कारण आई कमी की राशि ₹1,669.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,897.04 करोड़) को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी. बीपी.बीसी.98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 के निर्देशों के अनुसार दो वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, ₹ 2,397.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 887.13 करोड़) को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते में नामे किया गया है। 31 मार्च 2016 को अपरिशोधित राशि ₹2,281.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,009.91 करोड़) है।

7. प्रतिचक्रीय बफर प्रावधान (सीसीपीबी)

भारतीय रिजर्व बैंक ने "अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर" पर दिनांक 30 मार्च 2015 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 79/21.04.048/2014-15 के माध्यम से बैंकों को 31 दिसंबर 2014 तक उनके द्वारा धारित 50 प्रतिशत प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर अनर्जक आस्तियों (सीसीपीबी) के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है जिससे कि बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सके। तदनुसार, एसबीआई ने ₹1,149 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹382 करोड़) और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने ₹21.78 करोड़ (पिछले वर्ष कुछ नहीं) का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तथा बोर्ड की अनुमति से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया है।

8. आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एओआर)

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के भाग के रूप में, एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों को दिसंबर 2015 और मार्च 2016 को समाप्त हुई तिमाहियों के लिए कतिपय अग्रिम खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान/पुनःवर्गीकरण करने के लिए सूचित किया गया है। तदनुसार, उन्होंने आरबीआई निर्देशों का कार्यान्वयन किया है।

9. खाद्यान्न क्रेडिट

भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेशों के अनुसार, हितधारकों की अनुमति से एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने एक राज्य सरकार के खाद्यान ऋणों की बकाया राशि के संबंध में 7.5% का प्रावधान किया है जिसकी राशि ₹715.98 करोड़ है।

10. विदेश स्थित कार्यालयों से भारत में निधि के रिपैट्रिएशन पर विनिमय लाभ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के पूंजी निधि के ऐतिहासिक लागत पर पुनर्स्थापन के कारण ₹2,033.83 करोड़ की राशि को अन्य आय में शामिल किया गया है।

11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में, आईआरडीए ने बीमा कंपनी अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के अंतर्गत आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसीधारकों को प्रदत्त की गई प्रशासनिक प्रभार राशि ₹84.32 करोड़ का संवितरण करने और आदेश क्रमांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च 2014 के अनुसार कॉरपोरेट एजेंटों को प्रदत्त किए गए कमीशन की आधिक्य राशि ₹275.29 करोड़ को क्रमशः सदस्यों या लाभार्थियों को वापस करने के निदेश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त निदेशों/आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारी (अर्थात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) और प्रतिभूति अपील प्राधिकरण (एसएटी) के पास अपील दायर की है। चूंकि अंतिम आदेश बकाया है, इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

12. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के संबंध में स्थायी आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को अनुसूची 2 ''आरक्षित निधि और अधिशेष'' के अंतर्गत 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' में बताया गया है।

13. लाइफ और जनरल बीमा अनुषंगियों के विनिधानों को बैंकों द्वारा अनुपालन की गई लेखाकरण नीतियों के अनुसार इनको फिर से शामिल न करके आईआरडीए (विनिवेश विनियमन) 2000 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। 31 मार्च 2016 को बीमा कंपनियों के विनिधान कुल विनिधान का लगभग 11.03% (पिछले वर्ष 9.97%) रहे।

14. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/ 2007-08 के अनुसार, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हो) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

15. वर्तमान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचनाओं को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया है, जो आईसीएआई द्वारा लेखा मानक परिभाषा के अनुसार तैयार किए गए हैं।

16. जहाँ आवश्यक था वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः समूहन/पुनः वर्गीकरण किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष वर्गीकरण के अनुसार तालमेल बैठा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक/लेखांकन मानदंडों के दिशा-निर्देशों के अनुसार जहाँ पहली बार आंकड़ों का प्रकटीकरण किया गया है, वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

(चेरीयन के. बेबी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 16043
फर्म पंजी सं. : 0045325S

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(पी.के. गुप्ता)
एम.डी. (सी एण्ड आर)

(वी.जी.कन्नन)
एम.डी. (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एम.डी. (सी बी जी)

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वष पिछला वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर-पूर्व निवल लाभ		17658,09,16	25331,49,77
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		2252,20,53	1581,49,38
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		21,05,23	51,28,58
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		(11,85,66)	-
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि (निवल)		3144,68,18	(1786,05,64)
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान		35111,18,68	22198,30,58
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		2284,21,68	2918,47,70
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		320,96,40	(663,06,38)
अन्य प्रावधान		213,44,87	578,33,91
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा (विनिधान कार्यकलाप)		(275,81,61)	(314,44,18)
सहयोगियों के लाभांश (विनिधान कार्यकलाप)		(7,52,34)	(17,38,47)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप)		4797,86,72	4894,70,92
उप योग		65508,51,84	54773,16,17
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		200896,77,56	214108,43,23
पूंजीगत लिखतों को छोड़कर उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		7412,56,39	19761,57,51
अनुषंगी एवं सहयोगियों में निवेश को छोड़कर विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		(34959,09,82)	(91344,03,30)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(213160,74,55)	(136132,95,39)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		37187,01,71	45919,41,32
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(38436,00,12)	(73270,85,58)
गैर-एकीकृत परिचालनों में निवेशों के निपटान पर एफसीटीआर में कमी		(873,92,35)	-
उप योग		23575,10,66	33814,73,96
प्रदत्त कर		(9498,42,83)	(7517,36,65)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	**(क)**	14076,67,83	26297,37,31
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		99,53,30	1,37,27
अनुषंगी एवं सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		7,52,34	17,38,47
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(3775,61,16)	(3452,29,40)
समेकन पर साख में (वृद्धि)/कमी		-	3,13,15
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	**(ख)**	(3668,55,52)	(3430,40,51)
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि		5384,49,57	-

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2015 को समाप्त वष पिछला वर्ष ₹
बकाया आबंटन शेयर आवेदन राशि प्राप्त		-	2970,00,00
पूंजीगत लिखतों में (वृद्धि)/कमी		6138,35,95	1142,18,25
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		(4797,86,72)	(4894,70,92)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित		(3058,65,86)	(1236,33,43)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(88,16,60)	(122,38,00)
अल्पांश हित में (वृद्धि)/कमी		770,28,69	587,96,68
वित्तीय कार्यकलाप से/(में प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी	**(ग)**	**4348,45,03**	**(1553,27,42)**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	**(घ)**	**921,84,41**	**6,00,95**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)		15678,41,75	21319,70,33
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		188481,04,80	167161,34,47
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		204159,46,55	188481,04,80
नकदी और नकदी समतुल्य		31.03.2016	31.03.2015
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		160424,56,91	144287,54,67
बैंकों में जमाराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि)		43734,89,64	44193,50,13
योग		**204159,46,55**	**188481,04,80**

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(चेरीयन के. बेबी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 16043
फर्म पंजी सं. : 0045325S

(पी.के. गुप्ता)
एम.डी. (सी एण्ड आर)

(वी.जी.कन्नन)
एम.डी. (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एम.डी. (सी बी जी)

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड
भारतीय स्टेट बैंक
कॉरपोरेट केन्द्र
स्टेट बैंक भवन, मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (इस समूह) की 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन जिम्मेदारी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21 -''समेकित वित्तीय विवरण'', लेखा मानक-23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखा'' और लेखा-मानक-27 - ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट'' और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन की इस जिम्मेदारियों में एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषय-वस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। हमें सूचित किया गया है कि इन जोखिमों का निर्धारण करने के लिए, समूह की अलग-अलग इकाइयों ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जो ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि समूह की सभी गतिविधियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखा-परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है. इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखा-परीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशीलता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों, प्रबंधन द्वारा यथा प्रस्तुत एक अनुषंगी और कतिपय सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारे द्वारा विचार किए जाने पर, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सही एवं उचित हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं;

   (क) 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन-पत्र,

   (ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ एवं हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और

   (ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

ध्यानाकर्षण

7. हम समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 - 'लेखा-टिप्पणियों' की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

   क) टिप्पणी क्र. 6 : पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री पर हानि के कारण ₹2,281 करोड़ का अपरिशोधन।

   ख) टिप्पणी क्र. 7 : वर्ष के दौरान ₹1,171 करोड़ के प्रति चक्रीय सुरक्षित राशि (Buffer) का उपयोग करना।

   उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारे विचार सापेक्ष नहीं है।

अन्य मामले

8. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

   (क) हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों ने बैंक के लेखा-परीक्षितत खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹22,59,063 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹191,843 करोड़ का कुल राजस्व, और ₹12,711 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह प्रकट करते हैं;

   (ख) अन्य लेखा-परीक्षकों ने 29 (उनतीस) अनुषंगियों, 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों और 12 (बारह) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹7,26,950 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹83,228 करोड़ के कुल राजस्व में समूह का अंश, ₹3,499 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश, और सहयोगियों से ₹177 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं;

   (ग) 1 (एक) अनुषंगी और 8 (आठ) सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित खाते 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹4,114 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹146 करोड़ का कुल राजस्व, ₹49 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह और सहयोगियों से ₹78 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं।

   ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। जहाँ तक इनका ऐसी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और अनुषंगियों के कार्यों से संबंध है, उसके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उपर्युक्त संदर्भित अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

9. इस समूह की एक अनुषंगी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा-परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि ; चालू जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी इस कंपनी के नियुक्त बीमांकक (''नियुक्त बीमांकक'') की है। चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता 31 मार्च 2016 तक बनी हुई है, इनकी देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है और हमारा अभिमत है कि ऐसे मूल्यांकन का पूर्वानुमान प्राधिकारी की सहमति से भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई / ''प्राधिकरण'') और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानदंडों पर आधारित है। इस कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा अभिमत चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता 31 मार्च 2016 तक बनी हुई है, देयताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त बीमांकक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर आधारित है।

   इन मामलों के संदर्भ में हमारे विचार सापेक्ष नहीं है।

10. 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षक ने की थी जिन्होंने दिनांक 22 मई 2015 की अपनी रिपोर्ट में उन विवरणों के बारे में अपरिवर्तित अभिमत दिया है।

कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र. 16043
फर्म पंजीकरण सं. : 004532S

कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016